

EXPLANATION

G.S.-28 APRIL, 2019

1.A

Vasco Da Gama discovered sea route to India in 1498.

Vasco's second visit in 1502 led to the establishment of trading stations at Calicut, Cochin and Cannanore.

English East India Company was formed on December 31, 1600 by the charter issued by Queen Elizabeth I, which gave the company monopoly to trade in the East Indies for 15 years.

In 1717, the Mughal Emperor Farrukhsiyar's Farmans, called Magna Carta of the East India Company, gave significant privileges to the Company in Bengal, Gujarat and Hyderabad.

By the Treaty of Paris (1763), the French were allowed to use Indian settlements for commercial purposes only and fortifications of settlements were banned.

वास्को डी गामा द्वारा 1498 में भारत की ओर जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज की गई।

वास्को डी गामा की 1502 में हुई दूसरी भारत यात्रा का परिणाम कालीकट, कोचीन और कन्नूर में व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना के रूप में सामने आया।

इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को रानी एलिज़ाबेथ जारी एक चार्टर के जरिए हुई जिसने कम्पनी को 15 वर्षों तक ईस्ट इंडीज में व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया।

1717 में, मुगल सम्राट फर्रुखसियर के फरमान जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ने कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में महत्वपूर्ण विशेषाधिकार प्रदान किए।

पेरिस की संधि (1763) के द्वारा फ्रांसीसियों को भारतीय बस्तियों के केवल वाणिज्यिक प्रयोग की अनुमति दी गई और इन बस्तियों की किलेबंदी को प्रतिबंधित कर दिया गया।

2.B

Self-explanatory

स्वतः स्पष्ट

3.D

Why Panipat was a favourite battle field?

Panipat had a strategic location. One of the parties of the war generally came from the north/northwest through the Khyber Pass to get hold over Delhi, the political capital of northern India.

To move a military through rough terrains—deserts of Rajasthan or the other northern areas infested with dense forests—was very risky and difficult. On the other hand, the rulers at Delhi considered Panipat as a confrontable strategic ground and hence they preferred to take the fight there.

1) Its proximity to Delhi made it easier for the Indian rulers to transport weapons, military and food supplies etc., to the battleground, and still keep the capital insulated from the conflict at hand.

2) Panipat's surrounding region has a flat ground which was suitable for cavalry movement—the main mode of warfare at the time.

3) After the construction of the Grand Trunk Road by Sher Shah Suri (1540-45), Panipat was on this route. It became easier for conquerors to find their way there.

4) The duration of monsoon rainfall in the region is short in comparison to other areas making it easier to fight.

5) The artisans/smiths of these regions were experts in making warfare-related materials and hence it became easier for forces of both parties to replenish their war materials.

क्यों पानीपत एक पसंदीदा युद्ध क्षेत्र था?

पानीपत की अवस्थिति सामरिक है। युद्ध के दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष सामान्यतः उत्तर/उत्तर-पश्चिम से खैबर दर्रे से होकर दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित करने के इरादे से आया करता था, जो कि उस समय उत्तर भारत की राजनीतिक राजधानी थी।

राजस्थान के मरुस्थल और घने जंगलों से भरे उत्तर के अन्य क्षेत्रों से सेना को लेकर आना बहुत ही जोखिम भरा और कठिन था। दूसरी ओर, दिल्ली के शासक पानीपत को एक सुविधाजनक सामरिक मैदान मानते थे, अतः उन्होंने वहाँ युद्ध करना पसंद किया।

1. दिल्ली से इसकी निकटता के चलते भारतीय राजाओं के लिए हथियार, सेना और भोजन सामग्री का परिवहन यहाँ तक करना सरल रहता था। साथ ही इससे राजधानी को प्रस्तुत युद्ध से बचाए रखा जा सकता था।

2. पानीपत के चारों ओर का क्षेत्र समतल भूभाग है जो घुड़सवार सेना (जो उस समय युद्ध की मुख्य पद्धति हुआ करती थी) के चलने हेतु उपयुक्त था।
3. शेर शाह सूरी (1540-45) द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण के पश्चात पानीपत इसी मार्ग पर पड़ता था। इससे विजेताओं के लिए इसे रास्ता बनाना सरल था।
4. इस क्षेत्र में मानसून की अवधि अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा छोटी है, जिससे युद्ध करना सरल रहता है।
5. इन क्षेत्रों के दस्तकार/लौहार युद्ध से जुड़ी सामग्री के निर्माण में कुशल थे और इस प्रकार दोनों पक्षों की सेनाओं के लिए अपनी युद्ध सामग्री की आपूर्ति करना सरल था।

4.C

Chauth was a regular tax or tribute imposed, from early 18th century, by the Maratha Empire in India. It was an annual tax nominally levied at 25% on revenue or produce, hence the name. It was levied on the lands which were under Mughal rule. The Sardeshmukhi was an additional 10% levy on top of the Chauth. It is a tribute paid to the king.

Opinions on the function of the Chauth vary. According to M G Ranade, the chauth was charged to provide armed security for a state by the Marathas and is thus comparable to the system of subsidiary alliances that was used by Lord Wellesley to bring Indian states under British control.

चौथ एक नियमित कर अथवा नजराना था जो भारत में मराठा साम्राज्य द्वारा 18 वीं सदी की शुरुआत से लगाया जा रहा था। यह राजस्व अथवा उपज पर लगाया जाने वाला 25% वार्षिक कर था और इसी से इसका यह नाम पड़ा। यह उन भूमियों पर लगाया जाता था जो मुगल शासन के अधीन थीं। सरदेशमुखी चौथ के ऊपर लगने वाला 10% अतिरिक्त कर था। यह नजराने के रूप में राजा को दिया जाता था।

चौथ के कार्य पर अलग-अलग राय मौजूद हैं। एम जी रानाडे के अनुसार, चौथ मराठा राज्य की सेना द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराने के नाम पर ली जाती थी और इस प्रकार यह लॉर्ड वेल्ल्सली द्वारा भारतीय राज्यों को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने के लिए की गई सहायक संधि के सामान थी।

5.D

The states that emerged as a result of the decline of the Mughal Empire can be classified into the following three broad categories:

Successor States: These were the Mughal provinces that turned into states after breaking away from the empire. Though they did not challenge the sovereignty of the Mughal ruler, the establishment of virtually independent and hereditary authority by their governors showed the emergence of autonomous polity in these territories. Some examples are Awadh, Bengal and Hyderabad.

Independent Kingdoms: These states came into existence primarily due to the destabilisation of the Mughal control over the provinces, examples being Mysore, Kerala and the Rajput states.

The New States: These were the states set up by the rebels against the Mughal empire, examples being the Maratha, the Sikh and the Jat states.

मुगल साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप उभरे राज्यों को निम्नलिखित तीन बड़ी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

उत्तराधिकारी राज्य: ये वे मुगल सूबे थे जो साम्राज्य से अलग होने के पश्चात राज्य बने। हालांकि उन्होंने मुगल संप्रभुता को चुनौती नहीं दी, किंतु इनके सूबेदारों द्वारा लगभग स्वतंत्र और वंशानुगत प्राधिकार की स्थापना ने इन क्षेत्रों में स्वायत्त राजव्यवस्था के उभरने को दर्शाया। अवध, बंगाल और हैदराबाद इसके कुछ उदाहरण हैं।

स्वतंत्र साम्राज्य: ये राज्य प्रमुखतया सूबों पर मुगल नियंत्रण कमजोर पड़ जाने के कारण अस्तित्व में आए। मैसूर, केरल और राजपूत राज्य इसके उदाहरण हैं।

नए राज्य: इन राज्यों की स्थापना मुगलों के विरुद्ध विद्रोह करने वालों द्वारा की गई थी। मराठा, सिख और जाट राज्य इसके उदाहरण हैं।

6.A

The founder of the Asaf-Jah house of Hyderabad was Kilich Khan, popularly known as Nizam-ul-Mulk.

The founder of the independent principality of Awadh was Saadat Khan, popularly known as Burhan-ul-Mulk. Saadat Khan was a Shia. He had joined in a conspiracy against the Sayyid brothers, which resulted in his being given an increased mansab. Later, driven out of the court, he was prompted to found a new independent state.

Murshid Kuli Khan was the founder of the independent state of Bengal. He was a capable ruler and made Bengal a prosperous state. He was succeeded in 1727 by his son Shujaud-din. His successor, Sarfaraz Khan, was killed in 1740 by Alivardi Khan, the deputy governor of Bihar at Gheria, who assumed power and made himself independent of the Mughal emperor by giving yearly tribute.

Martanda Varma established an independent state of Kerala with Travancore as his capital. He extended the boundaries of his state from Kanyakumari to Cochin. He made efforts to organise his army along the Western model and adopted various measures to develop his state.

हैदराबाद के आसफ-जाह घराने का संस्थापक **चिनकिलीच खां** था जिसे **निजाम-उल-मुल्क** के नाम से जाना जाता है।

अवध के स्वतंत्र शाही घराने का संस्थापक सादत खान था जिसे **बुरहान-उल-मुल्क** के नाम से भी जानते हैं। सादत खान एक शिया था। उसने सैयद बंधुओं के खिलाफ हुए षडयंत्र में भाग लिया था जिसके परिणामस्वरूप उसे बढ़ा हुआ मनसब मिला था। बाद में, दरबार से निकाले जाने के बाद, वह स्वतंत्र राज्य की स्थापना को प्रेरित हुआ।

मुर्शिद कुली खां बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। वह एक क्षमतावान शासक था और उसने बंगाल को एक समृद्ध राज्य बनाया। 1727 में उसका पुत्र शुजाउद्दीन उसका उत्तराधिकारी बना। उसका उत्तराधिकारी सरफराज खान बिहार और घेरिया के नायब सूबेदार अलीवर्दी खान द्वारा 1740 में मार दिया गया। इस प्रकार सत्ता हथियाने के पश्चात उसने वार्षिक नजराना देकर स्वयं को मुगल सम्राट से स्वतंत्र बना लिया।

मार्टंड वर्मा ने केरल को त्रावणकोर राजधानी के साथ एक स्वतंत्र राज्य बना लिया। उसने अपने राज्य की सीमाओं का कन्याकुमारी से लेकर कोचीन तक विस्तार किया। उसने पश्चिमी पद्धति से अपनी सेना का संगठन किया और अपने राज्य को विकसित बनाने के अनेक उपाय अपनाए।

7.D

Reasons for the decline of Mughal Empire

Weak Successors- The Mughal Empire was a personal despotism and its success depended upon a strong and capable monarch.

Absence of Definite Law of Succession- Continuous wars of succession (absence of law of primogeniture) fostered partisanship at the cost of patriotism.

Aurangzeb's Religious and Deccan Policies- The religious policy antagonised the Rajputs, Sikhs, Jats and Marathas; Deccan policy kept the emperor away from the capital for a long duration.

Degeneration of Rulers and Nobles

Deterioration of Army

Too Vast an Empire- The vast empire became a difficult task for weak rulers to administer efficiently.

External Invasions- Invasions of Irani and Durrani kingdoms (Nadir Shah, Ahmad Shah Abdali) gave a death-blow.

Economic Decline- Endless wars, stagnation in agriculture, and decline in trade and industry emptied the royal treasury.

Advent of Europeans- European companies interfered in native politics, hastening the disintegration of empire. Shifting Allegiance of Zamindars.

Jagirdari Crisis.

Rise of Regional Aspirations- Rise and establishment of Awadh, Bengal, Hyderabad, Mysore, Kerala, Rajput states and Jat states accelerated the process of disintegration.

मुगल साम्राज्य के पतन के कारण-

कमजोर उत्तराधिकारी- मुगल साम्राज्य एक व्यक्तिगत निरंकुशतावादी शासन था और इसकी सफलता इसके मजबूत और योग्य राजाओं पर निर्भर थी।

उत्तराधिकार के निश्चित नियम की अनुपस्थिति- उत्तराधिकार के लिए लड़ी जाने वाली निरंतर लड़ाइयों (ज्येष्ठाधिकार की अनुपस्थिति) ने देशभक्ति की कीमत पर साझेदारी को प्रोत्साहित किया।

औरंगजेब की धार्मिक और दक्कन नीति – धार्मिक नीति ने राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों को नाराज कर दिया; दक्कन नीति ने सम्राट को लंबे समय तक राजधानी से दूर रखा।

शासकों और सामंतों का पतन

सेना में गिरावट

साम्राज्य का काफी बड़ा होना- कमजोर शासकों के लिए इतने बड़े साम्राज्य को कुशलतापूर्वक चलाना कठिन हो गया था।

बाहरी हमले- ईरानी और दुर्रानी राज्यों (नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली) के हमलों ने भयंकर तबाही मचाई।

आर्थिक गिरावट- अंतहीन युद्ध, कृषि में ठहराव और व्यापार व उद्योगों में गिरावट ने शाही खजाने को खाली कर दिया।

यूरोपीय लोगों का आगमन- यूरोपीय कंपनियों ने स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप किया जिससे साम्राज्य के पतन की दर तेज हो गई।

जमींदारों की निष्ठाओं में परिवर्तन

जागीरदारी संकट

क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का उभरना- अवध, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, केरल, राजपूत राज्यों और जाट राज्यों के उभरने ने विखंडन की प्रक्रिया को तेज कर दिया।

8.A

'Black Hole Tragedy'- Siraj-ud-daula is believed to have imprisoned 146 English persons who were lodged in a very tiny room due to which 123 of them died of suffocation.

However, historians either do not believe this story, or say that the number of victims must have been much smaller.

'ब्लैक होल दुर्घटना'- माना जाता है कि सिराज-उद-दौला ने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया जिसमें से 123 की दम घुटने से मृत्यु हो गई।

हालांकि इतिहासकार इस कहानी पर विश्वास नहीं करते अथवा कहते हैं कि मरने वाले लोगों की संख्या काफी कम थी।

9.D

The arrival of a strong force under the command of Robert Clive at Calcutta from Madras strengthened the English position in Bengal. Clive forged a secret alliance with the traitors of the nawab—Mir Jafar, Rai Durlabh, Jagat Seth (an influential banker of Bengal) and Omichand.

Under the deal, Mir Jafar was to be made the nawab who in turn would reward the Company for its services. The Battle of Plassey placed at the disposal of the English vast resources of Bengal.

After Plassey, the English virtually monopolised the trade and commerce of Bengal. As a result of this victory, Mir Jafar became the Nawab of Bengal. He gave large sums of money plus the zamindari of 24 parganas to the English. The Battle of Plassey had political significance for it laid the foundation of the British empire in India; it has been rightly regarded as the starting point of British rule in India.

The battle established the military supremacy of the English in Bengal. Their main rivals, the French, were ousted.

They obtained a grant of territories for the maintenance of a properly equipped military force, and their prestige increased manifold. But there was no apparent change in the form of government, though the supreme control of affairs passed to Clive, on whose support the new nawab, Mir Jafar, was entirely dependent for maintaining his newly acquired position.

The sovereignty of the English over Calcutta was recognised, and the English posted a Resident at the nawab's court.

मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक मजबूत सेना के कलकत्ता पहुँचने ने बंगाल में अंग्रेजों की स्थिति को मजबूत बना दिया। क्लाइव ने नवाब के द्रोहियों मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ (बंगाल का एक प्रभावशाली बैंकर) और अमीचंद के साथ गुप्त गठबंधन बना लिया।

समझौते के मुताबिक, **मीर जाफर को नवाब बनाया जाना था जो इसके बदले कंपनी को उसकी सेवाओं के लिए पुरस्कृत करेगा। प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के अकूत संसाधनों को अंग्रेजों के कदमों में लाकर रख दिया।**

प्लासी के बाद, अंग्रेजों ने बंगाल के व्यापार और वाणिज्य पर लगभग एकाधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय के परिणामस्वरूप, **मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। उसने कंपनी को बड़ी रकम देने के साथ-साथ 24 परगनों की जमींदारी भी प्रदान की।**

प्लासी की लड़ाई का राजनीतिक महत्व इसलिए है क्योंकि इसने **भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली; इसे सही ही भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत कहा जाता है।**

इस लड़ाई ने बंगाल में अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी फ्रांसीसी बाहर कर दिए गए थे। उन्हें एक सुसज्जित सेना के रखरखाव के लिए क्षेत्रों की प्राप्ति हुई और उनकी प्रतिष्ठा कई गुना बढ़ गई। किंतु, **सरकार के स्वरूप में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं हुआ, हालांकि मामलों का सर्वोच्च नियंत्रण क्लाइव के पास था जिसकी सहायता से नया नवाब मीर जाफर अपनी नई हैसियत को सभालने हेतु पूर्णतया उस पर आश्रित था।**

कलकत्ता पर ब्रिटिश संप्रभुता को मान्यता मिल गई और अंग्रेजों ने नवाब के दरबार में एक रेजिडेंट की नियुक्ति कर दी।

10.D

After the battle of Buxar, the East India Company became the real masters of Bengal. Robert Clive introduced the dual system of government, i.e., the rule of the two—the Company and the Nawab—in Bengal in which both the diwani, i.e., collecting revenues, and nizamat, i.e., police and judicial functions, came under the control of the Company.

The Company exercised diwani rights as the diwan and the nizamat rights through its right to nominate the deputy subahdar. The Company acquired the diwani functions from the emperor and nizamat functions from the subahdar of Bengal.

बक्सर की लड़ाई के पश्चात, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की अर्थात् दो का शासन- जिसमें कंपनी और नवाब थे। इसके अंतर्गत दीवानी (अर्थात् राजस्व संग्रहण) और निजामत (अर्थात् पुलिस और न्यायिक कार्य) दोनों कार्य कंपनी के अंतर्गत आ गए।

कंपनी ने दीवान के तौर पर अपने दीवानी अधिकारों का प्रयोग किया और निजामत अधिकारों का प्रयोग नायब सूबेदार को नामांकित कर किया। कंपनी को दीवानी कार्य सम्राट से मिले और निजामत कार्य बंगाल के सूबेदार से प्राप्त हुए।

11.A

The Great Leap Forward (GLF) campaign initiated in 1958 aimed at industrialising the country on a massive scale. People were encouraged to set up industries in their backyards.

In rural areas, communes were started. Under the Commune system, people collectively cultivated lands. In 1958, there were 26,000 communes covering almost all the farm population.

GLF campaign met with many problems. A severe drought caused havoc in China killing about 30 million people. When Russia had conflicts with China, it withdrew its professionals who had earlier been sent to China to help in the industrialisation process.

In 1965, Mao introduced the Great Proletarian Cultural Revolution (1966–76) under which students and professionals were sent to work and learn from the countryside.

1958 में आरंभ किए गए ग्रेट लीप फॉरवर्ड (GLF) का उद्देश्य वृहत स्तर पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। लोगों को उनके घरों में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून शुरू किए गए। कम्यून प्रणाली के अंतर्गत, लोगों ने सामूहिक रूप से जमीनों की जुताई की। 1958 में 26,000 कम्यून थे जो लगभग सारी कृषक जनसंख्या को आच्छादित करते थे।

ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान में अनेक समस्याएं आईं। एक गंभीर सूखे ने चीन में भयंकर तबाही मचाई और लगभग तीन करोड़ लोगों की जान ली। जब रूस का चीन के साथ झगड़ा हुआ तो उसने पूर्व में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया के लिए चीन भेजे गए अपने पेशेवरों को वापस बुला लिया।

1965 में माओ महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (1966 – 76) लेकर आया जिसके अंतर्गत छात्रों और पेशेवरों को देश के ग्रामीण हिस्सों में कार्य करने और सीखने के लिए भेजा गया।

12.A

The Human Development Report (HDR) is an annual milestone published by the Human Development Report Office of the United Nations Development Programme (UNDP).

As of 2013 the last decade saw convergence in human development indicators (HDI) values globally, although progress was uneven within and between regions. Developing countries' transformation into major economies with growing political influence has impacted human development progress.

The Human Development Index (HDI) is a composite statistic (composite index) of life expectancy, education, and per capita income indicators, which are used to rank countries into four tiers of human development. A country scores higher HDI when the lifespan is higher, the education level is higher, and the GDP per capita is higher. The HDI was developed by Pakistani economist Mahbub ul Haq and Indian economist Amartya Sen which was further used to measure the country's development by the United Nations Development Program (UNDP)

मानव विकास रिपोर्ट (HDR) एक वार्षिक प्रकाशन है जो सं. रा. विकास कार्यक्रम (UNDP) के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2013 में अंतिम दशक के दौरान मानव विकास संकेतकों के मूल्यों में वैश्विक रूप से अभिसरण देखने को मिला, हालाँकि क्षेत्रों के भीतर और उनके बीच प्रगति असमान थी। विकासशील देशों के बढ़ते राजनीतिक प्रभाव के साथ बड़ी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण ने मानव विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित किया।

मानव विकास सूचकांक (HDI) **जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय** संकेतकों का एक संयुक्त सूचकांक है जिनका प्रयोग देशों को मानव विकास के चार स्तरों पर रैंकिंग देने के लिए किया जाता है। जीवन अवधि लंबी होने, शिक्षा का स्तर उच्च होने और प्रति व्यक्ति GDP उच्च होने पर किसी देश को उच्च स्कोर प्राप्त होता है। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा विकसित किया गया HDI आगे चलकर सं. रा. विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा देश के विकास को मापने हेतु प्रयोग किया जाने लगा।

13.B

The environment performs four vital functions

(i) it supplies resources: resources here include both renewable and non-renewable resources. Renewable resources are those which can be used without the possibility of the resource becoming depleted or exhausted. That is, a continuous supply of the resource remains available. Examples of renewable resources are the trees in the forests and the fishes in the ocean. Non-renewable resources, on the other hand, are those which get exhausted with extraction and use, for example, fossil fuel

(ii) it assimilates waste

(iii) it sustains life by providing genetic and bio diversity and

(iv) it also provides aesthetic services like scenery etc.

The environment is able to perform these functions without any interruption as long as the demand on these functions is within its carrying capacity. This implies that the resource extraction is not above the rate of regeneration of the resource and the wastes generated are within the assimilating capacity of the environment. When this is not so, the environment fails to perform its third and vital function of life sustenance and this results in an environmental crisis.

Many resources have become extinct and the wastes generated are beyond the absorptive capacity of the environment. Absorptive capacity means the ability of the environment to absorb degradation.

पर्यावरण चार महत्वपूर्ण कार्य करता है-

(i) यह संसाधनों की आपूर्ति करता है: संसाधनों में नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय दोनों शामिल होते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे हैं जिन्हें समाप्त होने की संभावना के बिना प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात्, संसाधनों की एक सतत आपूर्ति उपलब्ध रहती है। नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं वनों के वृक्ष और महासागर की मछलियाँ। दूसरी ओर, गैर-नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन।

(ii) यह अपशिष्ट को आत्मसात करता है

(iii) यह आनुवांशिकीय और जैव विविधता प्रदान कर जीवन को बचाए रखता है।

(iv) यह सौंदर्यपरक सेवाएँ जैसे सुंदर भूदृश्य आदि प्रदान करता है।

पर्यावरण तब तक ये कार्य निर्बाध रूप से करने में सक्षम होता है जब तक इन कार्यों की माँग इसकी वहन क्षमता के भीतर है। इसका अर्थ है कि **संसाधनों के दोहन की दर उनके पुनर्भरण की दर से अधिक नहीं है तथा उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता के भीतर है।** जब ऐसा नहीं होता, पर्यावरण अपना जीवन बनाए रखने का तीसरा कार्य करने में विफल रहता है और इसका परिणाम पर्यावरणीय संकट के रूप में सामने आता है।

अनेक संसाधन विलुप्त हो गए हैं और उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की आत्मसात करने की क्षमता के बाहर चला गया है। **अवशेषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण की निम्नीकरण के अवशेषण की क्षमता।**

14.C

Sector	Contribution
Thermal power	64.8%
Hydel power	13.2%
Nuclear Power	2%
Renewable Energy resources	20.1%

क्षेत्र	योगदान
तापीय विद्युत शक्ति	64.8%
जल विद्युत शक्ति	13.2%
परमाणु विद्युत शक्ति	2%
नवीकरणीय उर्जा स्रोत	20.1%

15.A

Worker-population ratio is an indicator which is used for analysing the employment situation in the country.

This ratio is useful in knowing the proportion of population that is actively contributing to the production of goods and services of a country.

If the ratio is higher, it means that the engagement of people is greater; if the ratio for a country is medium, or low, it means that a very high proportion of its population is not involved directly in economic activities.

श्रमिक-जनसँख्या अनुपात एक संकेतक है जो देश में रोजगार की स्थिति के विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है।

यह जनसँख्या के उस अनुपात को जानने हेतु उपयोगी है जो देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय योगदान दे रहा है।

यदि यह अनुपात उच्च है, इसका अर्थ है कि आर्थिक गतिविधियों में लोगों की भागीदारी उतनी ही अधिक है; यदि किसी देश में यह अनुपात मध्यम है, अथवा कम है, इसका अर्थ है कि इसकी जनसँख्या का एक उच्च अनुपात आर्थिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष शामिल नहीं है।

16.B

The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation (BIMSTEC) is an international organisation of seven nations of South Asia and South East Asia, housing 1.5 billion people and having a combined gross domestic product of \$2.5 trillion (2014).

The BIMSTEC member states—Bangladesh, India, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, Bhutan, and Nepal—are among the countries dependent on the Bay of Bengal.

Leadership is rotated in alphabetical order of country names. The permanent secretariat is in Dhaka.

बे ऑफ बंगाल इनीशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एण्ड इकोनॉमिक को-ऑपरेशन (BIMSTEC) दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के सात देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिनमें 1.5 बिलियन लोग रहते हैं जिनका सकल घरेलू उत्पाद संयुक्त रूप से \$2.5 ट्रिलियन (2014) बैठता है।

बिम्स्टेक के सदस्य देश—**बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, और नेपाल**—ये सब वे देश हैं जो बंगाल की खाड़ी पर निर्भर हैं।

इसका नेतृत्व देश के नाम के अक्षर के आधार पर चक्रीय ढंग से चलता है। इसका स्थायी सचिवालय **ढाका** में है।

17.D

Foreign exchange reserves are used to back liabilities and influence monetary policy. This refers to any foreign money held by a central bank, such as the Reserve Bank of India. These reserves can include banknotes, deposits, bonds, treasury bills and other governmental securities. These assets serve many purposes but are most significantly held to ensure that a central government agency has backup funds if their national currency rapidly devalues or becomes all together insolvent.

It is a common practice in countries around the world for their central bank to hold a significant amount of reserves in their foreign exchange. Most of these reserves are held in the U.S. dollar, since it is the most traded currency in the world.

The foreign exchange reserves can also be held in the British Pound (GBP), the Euro (EUR), the Chinese yuan (CNY) or the Japanese yen (JPY) as well.

विदेशी मुद्रा विनिमय कोषों का प्रयोग **दायित्वों के समर्थन और मौद्रिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है**। यह उस विदेशी धन को संदर्भित करता है जो किसी एक केंद्रीय बैंक द्वारा धारित है जैसे भारत का रिजर्व बैंक। इन कोषों में **बैंक नोट, जमाएं, बांड्स, ट्रेजरी बिल्स और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हो सकती हैं**। ये परिसम्पत्तियाँ अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं किंतु इन्हें धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केंद्र सरकार की एक एजेंसी के पास ऐसी अवस्था हेतु समर्थन कोष हैं जब उसकी राष्ट्रीय मुद्रा का तेजी से अवमूल्यन हो जाता है अथवा यह एकदम से दिवालिया हो जाती है।

यह दुनिया भर के देशों द्वारा अपनाया जाने वाला सामान्य तरीका है जिसके तहत उनके केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा की एक बड़ी राशि रखते हैं। इनमें से अधिकांश कोष अमेरिकी डॉलर में रखे जाते हैं क्योंकि इस मुद्रा का विश्व में सर्वाधिक व्यापार किया जाता है।

विदेशी मुद्रा विनिमय कोषों को ब्रिटिश पाउंड (GBP), यूरो (EUR), चीनी युआन (CNY) अथवा जापानी येन (JPY) में भी रखा जा सकता है।

18.D

World development report is published annually by World bank group.

The theme of 2018 report is "LEARNING to Realize Education's Promise"

वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व बैंक समूह द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2018 की रिपोर्ट का विषय है "LEARNING to Realize Education's Promise"

19.A

On 1st January 2015, the National Institution for Transforming India or NITI Aayog came into existence as the government's premier think tank. The Prime Minister's Office advised the NITI Aayog to prepare Fifteen Year Vision, Seven Year Strategy and Three Year Action Agenda documents. Accordingly, the present document is being published to recommend policy changes and programmes for action from 2017-18 to 2019-20, the last three years of the Fourteenth Finance Commission.

The Vision, Strategy and Action Agenda exercise represents a departure from the Five Year Plan process, followed with a handful of discontinuities until the fiscal year 2016-17. The 12th Five Year Plan was the last of these plans. It has been felt that with an increasingly open and liberalized economy, we needed to rethink the tools and approaches to conceptualizing the development process.

The proposed shift represents an important step in this direction. The Action Agenda has been prepared as an integral part of the exercise leading to the Vision and Strategy document. It has been fast tracked and released first, keeping in view that with the start of fiscal year 2016-17, it is of immediate relevance for policy implementation.

The Three Year Action Agenda offers ambitious proposals for policy changes within a relatively short period. It is understood that while some may be fully implemented during the three-year period, implementation of others would continue into the subsequent years.

1st जनवरी 2015 को राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अथवा नीति आयोग देश के एक प्रमुख थिंक टैंक के रूप में अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने नीति आयोग को पन्द्रह वर्षीय दृष्टिकोण पत्र, सप्त वर्षीय रणनीति तथा तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा प्रपत्र तैयार करने का सुझाव दिया। तदनुसार, वर्तमान प्रपत्र चौहदवें वित्त आयोग के अंतिम तीन वर्षों (2017-18 से 2019-20) हेतु नीतिगत परिवर्तन व एक्शन सुझाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

दृष्टिकोण पत्र, रणनीति तथा एक्शन एजेंडा पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया से एक गमन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके पश्चात वित्त वर्ष 2016-17 तक चंद और चीजों को बंद किया जाएगा। **12 वीं पंचवर्षीय योजना इन योजनाओं में अंतिम थी।** ऐसा महसूस किया गया है कि एक निरंतर खुली और उदारीकृत अर्थव्यवस्था होने के चलते हमें विकास प्रक्रिया की अवधारणात्मकता के उपकरणों और उपागमों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित परिवर्तन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। एक्शन एजेंडा इस पूरी कवायद के एक महत्वपूर्ण भाग के तौर पर तैयार किया गया है जो आगे चलकर दृष्टिकोण एवं रणनीति पत्र बनेगा। इसे यह बात सोचकर तेजी से बनाया और जारी किया गया है, कि वित्त वर्ष 2016-17 के आरंभ होने के साथ नीति क्रियान्वयन हेतु यह तात्कालिक रूप से प्रासंगिक होगा।

तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा अपेक्षाकृत छोटी समयावधि में नीतिगत परिवर्तनों हेतु महत्वाकांक्षी प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। यह माना जा रहा है कि जहाँ कुछ को तीन वर्षीय अवधि में पूर्णतया कार्यान्वित किया जा सकेगा वहीं अन्यो का कार्यान्वयन बाद के वर्षों में जारी रहेगा।

20.C

The Solar System was formed from a rotating cloud of gas and dust which spun around a newly forming star, our Sun, at its center. The planets all formed from this spinning disk-shaped cloud, and continued this rotating course around the Sun after they were formed. The gravity of the Sun keeps the planets in their orbits. They stay in their orbits because there is no other force in the Solar System which can stop them.

Gravity is the primary force that controls the orbit of the planets around the sun. While each planet has its own gravity based on the size of the planet and the speed at which it travels, orbit is based on the gravity of the sun. The sun's gravity is just strong enough to keep the planets pulled toward it to create an orbit pattern but not strong enough to pull the planets into the sun. This is similar to the effect of the Earth on the orbit of the moon and satellites. The lesser gravity of the planets also helps to keep the planets from falling toward the sun.

The physical law that states that objects in motion have a tendency to remain in motion also plays a role in keeping the planets in orbit. The gravity of the sun and the planets works together with the inertia to create the orbits and keep them consistent. The gravity pulls the sun and the planets together, while keeping them apart. The inertia provides the tendency to maintain speed and keep moving. The planets want to keep moving in a straight line because of the physics of inertia. However, the gravitational pull wants to change the motion to pull the planets into the core of the sun. Together, this creates a rounded orbit as a form of compromise between the two forces.

सौर मंडल गैस और धूल के घूमते हुए बादल से बना था जो इसके केंद्र में स्थित एक नवनिर्मित तारे (हमारा सूर्य) के चारों ओर घूमा। सभी ग्रह इस घूमते हुए डिस्क आकार वाले बादल से बने, और अपने बनने के पश्चात सूर्य के चारों ओर घूमना जारी रखा। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों को उनकी कक्षा में रखता है। वे अपनी कक्षा में रहते हैं क्योंकि सौर मंडल में कोई अन्य बल विद्यमान नहीं जो उन्हें रोक सके।

गुरुत्वाकर्षण वह प्राथमिक बल है जो सूर्य के चारों ओर की कक्षा को नियंत्रित करता है। हालाँकि सभी ग्रहों का उनके आकार के अनुसार गुरुत्वाकर्षण है और गति है जिस पर ये आगे बढ़ते हैं किंतु कक्षा सूर्य के गुरुत्वाकर्षण पर आधारित है। **सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि वह ग्रहों को अपनी ओर धकेल कर रख सके और एक कक्षीय प्रारूप का निर्माण कर सके किंतु यह इतना शक्तिशाली नहीं है कि इन ग्रहों को सूर्य में गिरा सके।** यह पृथ्वी के चंद्रमा और इसके उपग्रहों की कक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के समान है। ग्रहों का कम गुरुत्वाकर्षण उन्हें सूर्य की ओर गिरने से रोकने में भी सहायक है।

भौतिकी का नियम जो यह बताता है कि **गतिशील वस्तुओं की प्रवृत्ति गति में रहने की होती है**, भी ग्रहों को उनकी कक्षा में रखने में भूमिका निभाता है। **सूर्य और ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण जड़त्व के साथ मिलकर कक्षाओं के निर्माण और उन्हें संगत बनाए रखने हेतु कार्य करते हैं।** गुरुत्वाकर्षण सूर्य और ग्रहों को एक साथ खींचता है तथा उसी समय उन्हें अलग भी बनाए रखता है। जड़त्व गति बनाए रखने और घूमते रहने का रुझान प्रदान करता है। जड़त्व की भौतिकी के कारण ग्रह एक सीधी रेखा में गमन करना चाहते हैं। हालाँकि, गुरुत्व खिंचाव उनकी गति को परिवर्तित करना चाहता है और उन्हें सूर्य के केंद्र की ओर खींचना चाहता है। साथ मिलकर, यह दो बलों के बीच एक समझौते के रूप में एक गोल कक्षा का निर्माण करते हैं।

21.C

A meteor is the flash of light that we see in the night sky when a small chunk of interplanetary debris burns up as it passes through our atmosphere. "Meteor" refers to the flash of light caused by the debris, not the debris itself.

The debris is called a meteoroid. A meteoroid is a piece of interplanetary matter that is smaller than a kilometre and frequently only millimetres in size. Most meteoroids that enter the Earth's atmosphere are so small that they vaporize completely and never reach the planet's surface.

If any part of a meteoroid survives the fall through the atmosphere and lands on Earth, it is called a meteorite.

Although the vast majority of meteorites are very small, their size can range from about a fraction of a gram (the size of a pebble) to 100 kilograms (220 lbs) or more (the size of a huge, life-destroying boulder).

Asteroids are generally larger chunks of rock that come from the asteroid belt located between the orbits of Mars and Jupiter.

Comets are asteroid-like objects covered with ice, methane, ammonia, and other compounds that develop a fuzzy, cloud-like shell called a coma and sometimes a visible tail whenever they orbit close to the Sun.

एक उल्कापात (meteor) प्रकाश की एक चमक है जो हम रात को तब देखते हैं जब **अन्तर्ग्रहीय मलबा वायुमंडल से गुजरते समय जल उठता है**। "उल्कापात" से आशय मलबे से उत्पन्न प्रकाश की चमक से है न कि मलबे से।

मलबे को उल्कापिंड (meteoroid) कहा जाता है। एक उल्कापिंड अन्तर्ग्रहीय पदार्थ का एक टुकड़ा है जो एक किलोमीटर से भी छोटा होता है और कई बार केवल मिलीमीटर आकार का होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट होने वाले अधिकांश उल्कापिंड इतने छोटे होते हैं कि तुरंत वाष्पीकृत हो जाते हैं और कभी भी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाते।

यदि **उल्कापिंड का कोई भाग बच जाता है और पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरकर पृथ्वी पर आ गिरता है, तो वह उल्का (meteorite) कहलाता है**। हालांकि अधिकांश उल्का अत्यंत छोटी होती हैं किंतु उनका आकार एक ग्राम (कंकड़ के आकार की) से लेकर 100 किलोग्राम (220 lbs) और उससे भी अधिक (विध्वंस करने में सक्षम गोलाशम जितना) तक हो सकता है।

क्षुद्रग्रह सामान्यतः **चट्टानों के बड़े टुकड़े होते हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच स्थित क्षुद्रग्रह पट्टी से आते हैं।**

धूमकेतू क्षुद्रग्रह जैसे दिखने वाली वस्तु होती है जो बर्फ, मीथेन, अमोनिया और अन्य यौगिकों से ढकी होती है जो धुंधले, बादल जैसे खोल को विकसित करती है जिसे कोमा कहा जाता है तथा यह जब भी सूर्य के निकट भ्रमण करती है, एक पूँछ के रूप में दृश्यमान रहती है।

22.A

In western astrology, there are 12 signs but standing for 12 periods of a year. According to natural distribution, stars are divided into many regions of different sizes, each called a constellation. Connecting all bright stars in a constellation with lines, different images in the shape of animals and objects are formed. People named each constellation according to its shape. The International Astronomical Union divided the sky into 88 constellations with precise boundaries, making every star belonging to a particular constellation.

Seen from Earth, the sun moves slowly in the Celestial Sphere and passes through constellations, forming a large circle for a year. This circle is called Ecliptic. The Ecliptic is divided into twelve equal portions (each equivalent to 30 degrees); each portion was named after the closest constellation. All these twelve portions were called Ecliptic Constellations, according to which western horoscope theories developed.

The astrologists divide a year into 12 periods, during each period the sun being in a constellation area. So everyone has a corresponding zodiacal sign according to the period his / her birthday lies in. The 12 signs are Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius and Pisces. People believe that different signs of the zodiac present different characteristics and talents.

पश्चिमी ज्योतिषशास्त्र में बारह चिह्न होते हैं किंतु ये एक वर्ष की 12 अवधियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राकृतिक वितरण के अनुसार, **तारों को विभिन्न आकार के अनेक क्षेत्रों में विभक्त किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक को नक्षत्र कहा जाता है।** एक नक्षत्र के सभी चमकीले तारों को एक रेखा से जोड़ने पर जानवरों और वस्तुओं की विभिन्न छवियाँ बनती हैं। लोगों ने आकार के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र का नाम रखा है। **अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने आकाश को 88 नक्षत्रों में बांटा है** तथा उनकी सटीक सीमा निर्धारित की है जिससे प्रत्येक तारा किसी नक्षत्र विशेष से जुड़ा है।

पृथ्वी से देखने पर, सूर्य आकाशीय क्षेत्र में धीरे-धीरे घूमता दिखाई देता है और नक्षत्रों के बीच से गुजरते हुए एक वर्ष हेतु एक बड़े वृत्त का निर्माण करता है। **यह वृत्त क्रांतिवृत्त कहलाता है।** क्रांतिवृत्त को बारह बराबर भागों (प्रत्येक भाग 30 डिग्री के बराबर) में विभक्त किया जाता है; प्रत्येक भाग का नाम उसके निकटतम नक्षत्र के नाम पर रखा जाता है। ये सभी बारह भाग क्रांतिवृत्त नक्षत्र कहलाए जिनके आधार पर पश्चिमी जन्मकुण्डली सिद्धांत विकसित हुए।

सूर्य के नक्षत्र क्षेत्र में रहने की अवधि के हिसाब से ज्योतिषी एक वर्ष को 12 अवधियों में विभक्त करते हैं। अतः प्रत्येक का उसके जन्म के समय के अनुसार एक संबंधित राशि चिह्न होता है। ये 12 चिह्न हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भ, मीन। लोगों का मानना है कि भिन्न राशियों वाले लोगों की विशेषताएं और प्रतिभा भिन्न-भिन्न होती हैं।

23.A

The galactic year, also known as a cosmic year, is the duration of time required for the Sun to orbit once around the center of the Milky Way Galaxy.

Estimates of the length of one orbit range from 225 to 250 million terrestrial years. The Solar System is traveling at an average speed of 828,000 km/h (230 km/s) or 514,000 mph (143 mi/s) within its trajectory around the galactic center, a speed at which an object could circumnavigate the Earth's equator in 2 minutes and 54 seconds.

A light-year is a unit of distance. It is the distance that light can travel in one year. Light moves at a velocity of about 300,000 kilometres (km) each second. So in one year, it can travel about 10 trillion km. More precisely, one light-year is equal to 9,500,000,000,000 kilometres.

The period of time required for the earth to make one complete revolution around the sun, measured from one vernal equinox to the next and equal to 365 days, 5 hours, 48 minutes, 45.51 seconds is known as Solar year. Also known as astronomical year or tropical year.

The parsec is a unit of length used to measure large distances to astronomical objects outside the Solar System.

आकाशगंगा वर्ष जिसे कॉस्मिक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है, वह अवधि है जो सूर्य को मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर पूरा करने हेतु लगती है।

एक चक्कर की लंबाई अनुमानतः 225 से 250 मिलियन पार्थिव वर्ष होती है। सौर मंडल अपने प्रक्षेप पथ पर आकाशगंगा केंद्र के भीतर 828,000 km/h (230 km/s) अथवा 514,000 mph (143 mi/s) की रफ्तार से गति कर रहा है। इस रफ्तार से कोई वस्तु पृथ्वी की परिक्रमा 2 मिनट 54 सेकण्ड में पूरी कर सकती है।

एक **प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है।** यह वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। प्रकाश लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता है। अतः एक वर्ष में यह लगभग 10 ट्रिलियन किमी. दूरी तय कर सकता है। इस प्रकार, एक प्रकाश वर्ष 9,500,000,000,000 किलोमीटर के बराबर होता है।

पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर काटने में लगने वाला समय जो एक वसंत विषुव से अगले वसंत विषुव तक मापा जाता है 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 45.51 सेकंड के बराबर होता है जिसे **सौर वर्ष** कहते हैं। इसे **खगोलीय वर्ष अथवा उष्णकटिबन्धीय वर्ष भी कहते हैं।**

पारसेक लंबाई की एक इकाई है जिसे सौर मंडल के बाहर की खगोलीय वस्तुओं की बड़ी दूरियां मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

24.A

Magma is composed of molten rock and is stored in the Earth's crust.

Lava is magma that reaches the surface of our planet through a volcano vent.



मैग्मा पिघली चट्टान का बना होता है और **भूपर्पटी में संग्रहित रहता है।**

लावा वह मैग्मा होता है जो ज्वालामुखीय छिद्र के माध्यम से पृथ्वी की सतह पर पहुँचता है।

25.D


The lava that is released during volcanic eruptions on cooling develops into igneous rocks. The cooling may take place either on reaching the surface or also while the lava is still in the crustal portion.

Depending on the location of the cooling of the lava, igneous rocks are classified as volcanic rocks (cooling at the surface) and plutonic rocks (cooling in the crust). The lava that cools within the crustal portions assumes different forms. These forms are called intrusive forms.

A large body of magmatic material that cools in the deeper depth of the crust develop in the form of large domes is known as batholith.

Lacoliths are large dome-shaped intrusive bodies with a level base and connected by a pipe-like conduit from below. It resembles the surface volcanic domes of composite volcano, only these are located at deeper depths.

When the lava makes its way through cracks and the fissures developed in the land, it solidifies almost perpendicular to the ground. It gets cooled in the same position to develop a wall-like structure. Such structures are called dykes.



ज्वालामुखी उदगार के समय निर्मुक्त होने वाला लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टानों में बदल जाता है। ठंडा होने की यह प्रक्रिया सतह पर पहुँचने पर हो सकती है अथवा तब भी जब लावा भूपर्पटी के भागों में ही है।

लावा के ठंडे होने के स्थान के अनुसार आग्नेय चट्टानों को ज्वालामुखी चट्टानों (जो सतह पर ठंडा होती हैं) और प्लूटोनिक चट्टानों (जो पर्पटी में ठंडा होती हैं) में वर्गीकृत किया जाता है। भूपर्पटी के स्थानों में ठंडा होने वाला लावा विभिन्न आकार लेता है। इन आकारों को अंतर्वेधी स्थलाकृतियाँ कहा जाता है।

मैग्मा सामग्री की बड़ी राशि जो पर्पटी की गहराई में ठंडी होती है, वह बैथोलिथ कहलाने वाले बड़े गुंबद के रूप में विकसित होती है।

लैकोलिथ बड़े आकार की गुंबदनुमा अंतर्वेधी संरचना है जिसका आधार समतल होता है और जो नीचे से एक पाइप जैसे वाहक से जुड़ी होती है। यह संयुक्त ज्वालामुखी की गुंबदनुमा ज्वालामुखीय सतह के समान दिखती है तथा यही अधिक गहराई में अवस्थित होती है।

जब लावा भूमि में बनी दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है, यह धरातल से लगभग लंबवत रूप में ठोस होने लगता है। यह इसी अवस्था में ठंडा होकर एक दीवारनुमा के रूप में विकसित हो जाता है। ऐसी संरचनाओं को डाईक कहा जाता है।

26.D

Earthquake is a natural hazard. The following are the immediate hazardous effects of earthquake:

- 1) Ground Shaking
- 2) Differential ground settlement
- 3) Land and mud slides
- 4) Soil liquefaction
- 5) Ground lurching
- 6) Avalanches
- 7) Ground displacement
- 8) Floods from dam and levee failures
- 9) Fires
- 10) Structural collapse
- 11) Falling objects
- 12) Tsunami

The first six listed above have some bearings upon landforms, while others may be considered the effects causing immediate concern to the life and properties of people in the region.

The effect of tsunami would occur only if the epicentre of the tremor is below oceanic waters and the magnitude is sufficiently high. Tsunamis are waves generated by the tremors and not an earthquake in itself. Though the actual quake activity lasts for a few seconds, its effects are devastating provided the magnitude of the quake is more than 5 on the Richter scale.

भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के तत्काल प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1. धरातल का हिल जाना

2. धरातल का ऊँचा-नीचा हो जाना
3. भू और गाद स्खलन
4. मृदा द्रवीकरण
5. धरातल पर झटके लगना
6. हिमस्खलन
7. भूमि का खिसक जाना
8. बाँध से बाढ़ और तटबंद टूटना
9. आग
10. अवसंरचना विनाश
11. वस्तुओं का गिरना
12. सुनामी

पहले छः का प्रभाव भूमि के प्रारूप पर पड़ता है जबकि अन्य क्षेत्र के लोगों की जान एवं संपत्ति की क्षति का कारण बन सकते हैं। सुनामी का प्रभाव तभी दिखाई देगा जब भूकंप का अधिकेन्द्र महासागरीय जल के नीचे है और इसकी तीव्रता उच्च है। सुनामी वे तरंगे हैं जो झटकों से पैदा होती हैं तथा वे अपने आप में भूकंप नहीं हैं। हालांकि वास्तविक भूकंप गतिविधि कुछ सेकंड के लिए होती है, किंतु इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5 या अधिक होने पर यह बेहद विनाशकारी होती है।

27.B

Some people believe that a constitution merely consists of laws and that laws are one thing, values and morality, quite another. Therefore, we can have only a legalistic, not a political philosophy approach to the Constitution. It is true that all laws do not have a moral content, but many laws are closely connected to our deeply held values. For example, a law might prohibit discrimination of persons on grounds of language or religion. Such a law is connected to the idea of equality. Such a law exists because we value equality. Therefore, there is a connection between laws and moral values.

Some differences between laws and morality

- 1) Laws are concerned with external acts of man and not motives Whereas Morality Concerned with both the external acts and internal motives.
- 2) Law is the concern of the state. Morality is the concern of conscience.
- 3) Law is concerned with a part of man's life. Morality is concerned with the whole of man's life.
- 4) Violation of law is punishable by the state whereas violation of Morality is not punishable by the state.
- 5) Law is definite and precise. Morality is vague and indefinite.
- 6) Law is objective. Morality is subjective.
- 7) Law acts within the territory of the state. Morality is universal.
- 8) A legal wrong may be morally right. A moral wrong may be legally right.

कुछ लोगों का मानना है कि संविधान में मात्र कानून होते हैं और यह कि कानून एक चीज है और मूल्य व नैतिकता दूसरी चीज। अतः, हम संविधान के प्रति केवल एक विधिक उपागम अपना सकते हैं न कि राजनीतिक दर्शन उपागम।

यह सच है कि सभी कानूनों में नैतिक सामग्री नहीं होती, किंतु अनेक कानून हमसे गहराई से जुड़े मूल्यों के साथ निकटता से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए एक कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव का निषेध कर सकता है। ऐसा कानून समानता के विचार से जुड़ा है। ऐसा कानून इसलिए अस्तित्व में है क्योंकि हम समानता को महत्व देते हैं। अतः कानूनों और नैतिक मूल्यों के बीच एक संबंध होता है।

कानूनों और नैतिक मूल्यों के बीच कुछ अंतर-

- 1) कानून मानव के बाह्य कार्यों से संबंधित हैं न कि उसके मंतव्य से, जबकि नैतिकता उसके बाह्य कार्यों और आंतरिक मंतव्यों दोनों से संबंधित है।
- 2) कानून राज्य का विषय है जबकि नैतिकता अंतःकरण का विषय है।
- 3) कानून मानव के जीवन के एक भाग से संबंधित है जबकि नैतिकता मानव के पूरे जीवन से संबंधित है।
- 4) कानून का उल्लंघन राज्य द्वारा दण्डनीय है जबकि नैतिकता राज्य द्वारा दण्डनीय नहीं है।
- 5) कानून निश्चित और सटीक होता है जबकि नैतिकता अस्पष्ट और अनिश्चित होती है।
- 6) कानून व्यक्तिनिष्ठ है जबकि नैतिकता वस्तुनिष्ठ है।
- 7) कानून राज्य की सीमाओं के भीतर कार्य करता है जबकि नैतिकता वैश्विक होती है।

8) कानूनी रूप से गलत बात नैतिक रूप से सही हो सकती है तथा नैतिक रूप से गलत बात कानूनन सही हो सकती है।

28.B

The Indian constitution, by introducing the articles concerning Jammu and Kashmir (Art. 370) and the North-East (Art. 371), anticipates the very important concept of asymmetric federalism. The Constitution has created a strong central government. But despite this unitary bias of the Indian Constitution, there are important constitutionally embedded differences between the legal status and prerogatives of different sub-units within the same federation.

Unlike the constitutional symmetry of American federalism, Indian federalism has been constitutionally asymmetric. To meet the specific needs and requirements of some sub-units, it was always part of the original design to have a unique relationship with them or to give them special status.

For example, the accession of Jammu and Kashmir to the Indian union was based on a commitment to safeguard its autonomy under Article 370 of the Constitution. This is the only State that is governed by its own constitution.

Similarly, under Article 371A, the privilege of special status was also accorded to the North-Eastern State of Nagaland.

This Article not only confers validity on pre-existing laws within Nagaland, but also protects local identity through restrictions on immigration. Many other States too, are beneficiaries of such special provisions. According to the Indian Constitution, then, there is nothing bad about this differential treatment.

जम्मू और कश्मीर (अनुच्छेद 370) तथा पूर्वोत्तर (अनुच्छेद 371) से संबंधित प्रावधान करके भारतीय संविधान असममित संघवाद की अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा की बात करता है। संविधान ने बेहद मजबूत केंद्र सरकार की व्यवस्था की है। किंतु भारतीय संविधान के इस एकात्मक पक्षपात के बावजूद इसी संघ के भीतर विभिन्न उप-इकाईयों के विधिक दर्जे और विशेषाधिकारों के बीच संवैधानिक रूप से अंतःस्थापित अंतर मौजूद हैं।

अमेरिकी संघवाद की संवैधानिक सममिति से अलग भारतीय संघवाद संवैधानिक रूप से असममित है। कुछ उप-इकाईयों की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसे हमेशा से ही मूल पाठ का भाग रखा गया था कि उन इकाईयों के साथ एक विशिष्ट संबंध बनाया जाये और उन्हें विशेष दर्जा दिया जाए।

उदाहरण के लिए, भारत संघ द्वारा जम्मू-कश्मीर का अधिग्रहण इस प्रतिबद्धता पर आधारित था कि उसकी स्वायत्तता की सुरक्षा संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत की जाएगी। यह **अकेला राज्य है जो अपने स्वयं के संविधान द्वारा शासित होता है।** इसी प्रकार, **अनुच्छेद 371A के अंतर्गत विशेष दर्जे संबंधी विशेषाधिकार पूर्वोत्तर के नगालैंड राज्य को भी प्रदान किए गए थे।**

यह अनुच्छेद न केवल नगालैंड के भीतर पहले से चले आ रहे कानूनों को वैधता प्रदान करता है अपितु आव्रजन पर प्रतिबंधों के माध्यम से स्थानीय पहचान को भी सुरक्षा देता है। अनेक अन्य राज्य भी ऐसे विशेष प्रावधानों के लाभप्राप्तकर्ता हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुसार इस अलग व्यवहार में कोई बुरी बात नहीं है।

29.C

It is not uncommon for nations to rewrite their constitutions in response to changed circumstances or change of ideas within the society or even due to political upheavals. The Soviet Union had four constitutions in its life of 74 years (1918, 1924, 1936 and 1977).

In 1991, the rule of the Communist Party of Soviet Union came to an end and soon the Soviet federation disintegrated. After this political upheaval, the newly formed Russian federation adopted a new constitution in 1993. The Constitution of India was adopted on 26 November 1949. Its implementation formally started from 26 January 1950. More than sixty-eight years after that, the same constitution continues to function as the framework within which the government of our country operates.

It is true that we have inherited a very robust Constitution. The basic framework of the Constitution is very much suited to our country.

It is also true that the Constitution makers were very farsighted and provided for many solutions for future situations. But no constitution can provide for all eventualities. No document can be such that it needs no change.

बदली हुई परिस्थितियों अथवा समाज के भीतर विचारों के परिवर्तन अथवा राजनीतिक उतार-चढ़ावों की अनुक्रिया के रूप में देशों द्वारा अपने संविधान को दोबारा लिखना असामान्य बात नहीं है। अपने 74 वर्षों के जीवनकाल में सोवियत संघ के चार संविधान (1918, 1924, 1936 and 1977) हुए।

1991 में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हुआ और शीघ्र ही सोवियत संघ का विखंडन हो गया। इस राजनीतिक उतार-चढ़ाव के पश्चात, नवनिर्मित रूसी संघ ने 1993 में एक नया संविधान अपनाया।

भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसका कार्यान्वयन औपचारिक रूप से 26 जनवरी 1950 को आरंभ हुआ। इसके अड़सठ वर्षों से भी अधिक के पश्चात, उसी संविधान का ऐसे फ्रेमवर्क के रूप में कार्य करना जारी है जिसके भीतर हमारे देश की सरकार कार्य संचालन करती है।

यह सच है कि हमें विरासत में एक बहुत बड़ा संविधान मिला है। इस संविधान का आधारभूत फ्रेमवर्क हमारे देश के लिए काफी उपयुक्त है। यह भी सच है कि संविधान निर्माता काफी दूरदर्शी थे और उन्होंने भविष्य की परिस्थितियों हेतु अनेक समाधान उपलब्ध करवाए। किंतु किसी भी संविधान में सभी आकस्मिकताओं हेतु प्रावधान नहीं हो सकता। कोई प्रपत्र ऐसा नहीं हो सकता जिसे परिवर्तन की आवश्यकता न पड़े।

30.C

The provisions of the constitution naturally reflect efforts to tackle the problems that the society is facing at the time of making of the constitution. At the same time, the constitution must be a document that provides the framework of the government for the future as well. Therefore, the constitution has to be able to respond to the challenges that may arise in the future.

In this sense, the constitution will always have something that is contemporary and something that has a more durable importance.

Constitution is not a frozen and unalterable document. It is a document made by human beings and may need revisions, changes and re-examination.

It is true that the constitution reflects the dreams and aspirations of the concerned society. It must also be kept in mind that the constitution is a framework for the democratic governance of the society.

In this sense, it is an instrument that societies create for themselves. The makers of the Indian Constitution placed the Constitution above ordinary law and expected that the future generations will respect this document.

संविधान के प्रावधान स्वाभाविक रूप से समस्याओं से निपटने के उन प्रयासों को प्रतिबिम्बित करते हैं जिनका सामना इसके बनने के समय हमारा समाज कर रहा था। ठीक उसी समय, संविधान को एक ऐसा दस्तावेज भी होना था जो सरकार के लिए भविष्य का फ्रेमवर्क भी प्रदान करे। अतः, संविधान को भविष्य में आ सकने वाली चुनौतियों के प्रति अनुक्रिया में सक्षम होना चाहिए।

इस अर्थ में, संविधान में ऐसा कुछ अवश्य होगा जो तात्कालिक हो तथा कुछ ऐसा जो स्थायी महत्व का हो।

संविधान एक हिमाच्छादित व अपरिवर्तनशील प्रपत्र नहीं है। यह एक ऐसा प्रपत्र है जिसे मानवों ने बनाया है और जिसे समीक्षा, परिवर्तन और पुनर्नीरिक्षण की आवश्यकता पड़ सकती है।

यह सच है कि संविधान संबंधित समाज के सपनों और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करता है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि संविधान समाज के लोकतांत्रिक शासन हेतु एक फ्रेमवर्क है।

इस अर्थ में, यह एक ऐसा उपकरण है जिसका निर्माण समाज अपने लिए करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने संविधानको सामान्य विधान से ऊपर रखा और उम्मीद की कि भावी पीढ़ियां इस दस्तावेज का सम्मान करेंगी।

31.A

Causes of Failure of the Revolt:

- The resources of the British Government were far superior to those of the rebels. Luckily, for the British, the Crimean and the Chinese wars had been concluded by 1856 that helped the British Government to concentrate the entire energy on India.
- Electric telegram improved the communication channel of the British and information could be communicated very quickly.
- The people of India could not be inspired by the spirit of nationalism to resist the foreign soldiers for a long period. No doubt the princes joined the revolution to regain their lost prestige, the taluqdars joined it to get back their privileges, and the peasants fought in it for their economic discontent yet in a positive sense there was no great ideal to unite all Indians in a common platform.
- The revolt thus could not be prolonged. The rebels could not organize a united military front against the British army. They fought in separate groups. In moments of need, they could not combine all their forces which worked as strength to their enemies.
- Lack of able and genius leaders to guide the destiny of the country resulted in a negative result of the nation-wide revolt. The revolt was spontaneous, the rebels were many in number but unfortunately the leaders were no great military generals. They fought desperately with their limited capacities.
- The sudden out-break of the revolt created an uncertain situation in the country for which the people were not mentally prepared. They were quite ignorant about their role in that emergency.

विद्रोह की विफलता के कारण:

- विद्रोहियों के मुकाबले अंग्रेजों के पास कहीं बेहतर संसाधन थे। अंग्रेजों का सौभाग्य था कि क्रीमियाई और चीनी युद्ध 1856 में ही समाप्त हो गए थे जिससे ब्रिटिश सरकार को अपनी समस्त उर्जा भारत पर केंद्रित करने में मदद मिली।

- विद्युत टेलीग्राम ने अंग्रेजों के संचार चैनल में सुधार किया तथा कोई भी सूचना बेहद शीघ्रता से पहुंचाई जा सकती थी।
- भारतीय लोग एक लंबी अवधि तक विदेशी सैनिकों का प्रतिरोध करने के लिए राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित नहीं रह सके। निःसंदेह राजाओं ने अपनी खोई प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए, तालुकदारों ने अपने विशेषाधिकार वापस पाने के लिए तथा काश्तकारों ने आर्थिक असंतोष के कारण (हालांकि एक सकारात्मक ढंग से) विद्रोह में भाग लिया किंतु सभी भारतीयों को एक मंच पर लाने हेतु कोई महान आदर्श विद्यमान नहीं था।
- इस प्रकार विद्रोह लंबे समय तक नहीं चल सका। विद्रोही अंग्रेज सेना के विरुद्ध कोई संयुक्त सैन्य मोर्चा नहीं बना सके। वे अलग-अलग समूहों में लड़े। आवश्यकता के समय वे अपनी समस्त शक्ति को एकबद्ध नहीं कर सके जिसने उनके शत्रुओं के पक्ष में काम किया।
- देश के भाग्य को निर्देशित करने हेतु योग्य और होनहार नेताओं की अनुपस्थिति देशव्यापी विद्रोह के लिए नकारात्मक परिणाम लेकर आई। विद्रोह स्वतःस्फूर्त था, विद्रोही संख्या में अधिक थे किंतु दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी महान सैन्य जनरल नहीं था। वे अपनी सीमित क्षमताओं के साथ हताशापूर्ण ढंग से लड़े।
- एकाएक विद्रोह के फूटने ने एक अनिश्चित स्थिति को जन्म दिया जिसके लिए लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। वे उस आपातस्थिति में अपनी भूमिका से अंजान थे।

32.D

The British Government did not allow the fire of revolt to spread in a large part of India.

Punjab and Bombay presidency was untouched. Sikh Regiment played an important role in the suppression of revolt. The Nizam of Hyderabad, the Begum of Bhopal, the King of Nepal and the Maratha leader Sindhia extended their helping hands to the British.

The modern educated Indians looked at the revolt as backward looking. They had faith in the British Government and believed that they can bring about a change in society and modernize it. Because of this they did not support the revolt.

New Zamindars also supported British in their endeavours as their legitimacy was based on the British rule.

ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह की आग को देश के बड़े हिस्से में नहीं फैलने नहीं दिया।

पंजाब और बॉम्बे प्रेसीडेंसी बिल्कुल अछूती रही। सिख रेजिमेंट ने विद्रोह को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हैदराबाद के निजाम, भोपाल की बेगम, नेपाल नरेश और मराठा सरदार सिंधिया ने अंग्रेजों की मदद की।

आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने विद्रोह को एक पश्चगामी कदम माना। उनकी ब्रिटिश सरकार में आस्था थी और उनका मानना था कि वे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं और इसे आधुनिक बना सकते हैं। इस कारण से उन्होंने विद्रोह का समर्थन नहीं किया।

नए जमींदारों ने भी अंग्रेजों की मदद की क्योंकि उनका औचित्य अंग्रेजी राज पर आधारित था।

33.C

The old Mughal emperor Bahadur Shah II was taken prisoner to Rangoon. The British Commander-in-Chief Colin Campbell with much difficulties captured Lucknow. The guerrilla type of war continued in the interior part of Oudh. Begum Hazrat Mahal escaped to Nepal.

On 17th June, 1857 while fighting Maharani Laxmi Bai died, Tantia Tope kept the fighting on for a pretty long time and at last caught and hanged. Nana Saheb was defeated and fled away to the dense forests of Nepal to escape death. Kunwar Singh became the victim in a battle field. Many others either died or fled to the dense forest regions of Nepal. The great revolt subsided.

वृद्ध मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर II बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ कोलिन कैम्पबेल ने बड़ी कठिनाई से लखनऊ को पुनः प्राप्त किया। अवध के आंतरिक भागों में गुरिल्ला किस्म का युद्ध जारी रहा। बेगम हजरत महल नेपाल पलायन कर गई। 17 जून 1857 को महारानी लक्ष्मी बाई लड़ते हुए मारी गई, तात्या टोपे ने काफी लंबे समय तक लड़ाई जारी रखी और अंत में पकड़ा गया और उसे फांसी दे दी गई। नाना साहेब को हरा दिया गया और वे मृत्यु से बचने के लिए नेपाल के घने जंगलों में पलायन कर गए। कुंवर सिंह युद्ध क्षेत्र में शहीद हुए। अनेकों अन्य या तो मारे गए या नेपाल के घने जंगलों में पलायन कर गए। महान विद्रोह समाप्त हो गया।

34.C

It was Vinayak Damodar (Veer) Savarkar, who used this title, "Indian war of independence" for writing a book on the Revolt of 1857. Interestingly, this book was banned under the British rule, and was firstly published in Netherlands. विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह पर पुस्तक लिखते समय "भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध" शीर्षक का प्रयोग किया। इस पुस्तक को अंग्रेजी राज में प्रतिबन्धित कर दिया गया और यह सबसे पहले नीदरलैंड्स में प्रकाशित हुई।

35.C

The Act of 1773 recognized the political functions of the company, because it asserted for the first time right of the parliament to dictate the form of government. It was the first attempt of British government to centralize the administrative machinery in India. The act set up a written constitution for the British possession in India in place of arbitrary rule of the company. A system was introduced to prevent the Governor-General from becoming autocratic. This act unequivocally established the supremacy of the Presidency of Bengal over the others. In matters of foreign policy, the Regulating Act of 1773 made the presidencies of Bombay and Madras, subordinate to the Governor General and his council. Now, no other presidency could give orders for commencing hostilities with the Indian Princes, declare a war or negotiate a treaty. It established a supreme court at Fort William, Calcutta and India's modern Constitutional History began.

1773 के अधिनियम ने कंपनी के राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी क्योंकि इसने पहली बार यह बात कही कि सरकार के स्वरूप के बारे में निर्देश देना संसद का अधिकार है। भारत में प्रशासनिक मशीनरी को केंद्रीकृत करने का ब्रिटिश सरकार का यह पहला प्रयास था। इन कानून ने कंपनी के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर भारत में ब्रिटिश अधिकार वाले क्षेत्रों हेतु एक लिखित संविधान की स्थापना की। गवर्नर-जनरल को स्वेच्छाचारी बनने से रोकने हेतु एक प्रणाली लाई गई।

इस कानून ने स्पष्ट रूप से अन्य प्रेसिडेंसियों पर बंगाल की सर्वोच्चता स्थापित कर दी। विदेश नीति के मामलों में, 1773 के रेग्युलेटिंग एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद के अधीन कर दिया। अब, कोई अन्य प्रेसिडेंसी भारतीय राजाओं के साथ लड़ाई शुरू करने, युद्ध घोषित करने अथवा किसी संधि पर वार्ता करने का आदेश नहीं दे सकती थी। इसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की तथा भारत के आधुनिक इतिहास की शुरुआत हुई।

36.C

The previous charter act of 1833 had laid down that the Court of Directors should nominate annually 4 times as many candidates as there were vacancies, from whom one should be selected by competitive examination. The charter act of 1833 also provided the Haileybury college of London should make quota to admit the future civil servants.

However, this system of an open competition was never effectively operated. A committee under the chairmanship of Lord Macaulay had prepared the regulations in this context. The report said that:

- Haileybury should cease to be maintained as higher education college for the ICS
- There should be a broad general education rather than specialized education for the ICS recruits
- The recruitment should be based upon an open competitive examination to bring out the best candidates and not through mere superficial knowledge
- The appointments should be subject to a period of probation.

Charter Act of 1853 deprived the Court of Directors of its right of Patronage to Indian appointments and now it was to be exercised under the regulations. This was the Birth of Civil Services which was thrown in 1854 for open competition.

1833 के चार्टर एक्ट ने व्यवस्था दी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्तियों के चार गुना प्रत्याशियों की सिफारिश करनी चाहिए जिनमें से एक को प्रतियोगी परीक्षा हेतु चयनित किया जाएगा। 1833 के चार्टर एक्ट ने यह भी व्यवस्था दी कि हैलेबरी कॉलेज ऑफ लंदन भावी सिविल सेवकों को प्रवेश देने का कोटा निश्चित करना चाहिए। हालांकि, खुली प्रतिस्पर्धा की प्रणाली को कभी भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस संबंध में विनियम तैयार किए थे। रिपोर्ट में कहा गया कि:

- हैलेबरी को ICS के लिए उच्च शिक्षा कॉलेज के रूप में बनाए रखना बंद करना चाहिए।
- ICS रंगरूटों के लिए विशेषीकृत शिक्षा के स्थान पर एक व्यापक सामान्य शिक्षा होनी चाहिए।
- भर्ती एक खुली प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित हो जिससे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार आगे लाए जा सकें, न कि केवल सतही ज्ञान वाले लोग।
- नियुक्ति परीक्षा अवधि के अधीन होनी चाहिए।

1833 के चार्टर एक्ट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भारतीय नियुक्तियों में उनके संरक्षण से वंचित कर दिया तथा अब इसे विनियम के तहत किया जाना था। यह सिविल सेवाओं का जन्म था जिसमें 1854 से खुली प्रतिस्पर्धा लाई गई।

37.C

Features of Doctrine of Lapse

- According to this, any princely state under the direct or indirect (as a vassal) control of the East India Company where the ruler did not have a legal male heir would be annexed by the company.
- This was not introduced by Lord Dalhousie even though it was he who documented it, and used it widely to acquire territories for the British.

- As per this, any adopted son of the Indian ruler could not be proclaimed as heir to the kingdom. The adopted son would only inherit his foster father's personal property and estates.
- The adopted son would also not be entitled to any pension that his father had been receiving or to any of his father's titles.
- This challenged the Indian ruler's long-held authority to appoint an heir of their choice.

व्यपगत के सिद्धांत की विशेषताएं

- इसके अनुसार, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष (एक जागीरदार के रूप में) रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कोई भी शाही रियासत जिसके शासक का कोई वैध पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, को कंपनी द्वारा अपने में मिला लिया जाएगा।
- इसे लॉर्ड डलहौजी द्वारा नहीं लाया गया था हालांकि उसने ही इसे लेखाबद्ध किया था, और अंग्रेजों के लिए अनेकों क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु इसका प्रयोग किया था।
- इसके अनुसार, भारतीय शासक के किसी गोद लिए पुत्र को साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जा सकता था। गोद लिया पुत्र केवल अपने पालक पिता की व्यक्तिगत संपत्ति और जायदाद का उत्तराधिकारी होगा।
- गोद लिया पुत्र अपने पिता द्वारा प्राप्त की जा रही किसी पेंशन को पाने तथा उसकी उपाधियों के प्रयोग का भी अधिकारी नहीं होगा।
- इसने भारतीय शासकों की अपनी मर्जी का उत्तराधिकारी नियुक्त करने की शक्ति को चुनौती दी।

38.B

Chapati and Lotus became symbol of revolt of 1857.

Chapatis were distributed in villages over night to create awareness. People exchanged chapattis. This created an environment of fear in the British ranks.

Lotus flower were thrown in the cantonment areas to gather support from other sepoys. Also a message was sent – 'Sab laal ho jayega' i.e. everything will turn red.

चपाती और कमल का फूल 1857 के विद्रोह का प्रतीक बन गए।

चपाती जागरूकता पैदा करने के लिए रातोंरात गाँवों में बांटी गई। लोगों ने एक दूसरे से चपाती बदली। इसने ब्रिटिश अधिकारियों में एक भय का माहौल बना दिया।

कमल के फूल छावनी क्षेत्रों में डाल दिए गए ताकि अन्य सिपाहियों का समर्थन हासिल किया जा सके। साथ ही 'सब लाल हो जाएगा' का सन्देश भी भेजा गया।

39.A

In order to avoid another Mutiny in the Sepoy rankings, the British government constituted Peel Commission to suggest measures to reorganize the army.

The Peel Commission was comprised of high-ranking officers of the British and Indian armies and headed by the Secretary of State of War, Major-General Peel, with the purpose of policy creation in post-Mutiny India.

It suggested several measures like – increasing the ratio of Europeans in the Indian army, making regiments on caste lines initiating the policy of divide and rule, not promoting Indians to the higher ranks.

सिपाहियों में एक और विद्रोह को होने से रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना के पुनर्संगठन के उपाय सुझाने हेतु पील आयोग का गठन किया।

पील आयोग में ब्रिटिश और भारतीय सेना के उच्च अधिकारी शामिल थे और इसकी अध्यक्षता युद्ध सचिव मेजर-जनरल पील कर रहे थे। इसका उद्देश्य विद्रोह पश्चात नीति निर्माण का था।

इसने अनेक उपाय सुझाए, जैसे- भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों का भारतीय सैनिकों के सापेक्ष अनुपात बढ़ाया जाए, 'फूट डालो और राज करो' की नीति की शुरुआत करते हुए जाति के आधार पर बटालियनों का गठन करो, भारतीयों को उच्च पद पर प्रोन्नत मत करो आदि।

40.D

Several causes are attributed to the Vellore Mutiny (1806). Indian sepoys had to experience numerous difficulties when they went to serve in the Company's army. The sepoys were forced to serve under the Company since their earlier patrons (the native chieftains) were all disappearing from the scene.

The strict discipline, practice, new weapons, new methods and uniforms were all new to the sepoys. Anything new appears to be difficult and wrong for a man who is well-settled in the old way of life for a long-time. Sir John Cradock, the commander-in-chief, with the approval of Lord-William Bentinck, the Governor of Madras, introduced a new form of turban, resembling a European hat. Wearing ear rings and caste marks were also prohibited.

The sepoys were asked to shave the chin and to trim the moustache. The sepoys felt that these were designed to insult them and their religious and social traditions. There was also a popular belief that this was the beginning of a process by which all of them would be converted to Christianity. The English treated the Indian sepoys as their inferior. There was the racial prejudice.

वेल्लोर विद्रोह (1806) के अनेक कारण बताये जाते हैं। कंपनी की सेना में सेवाएं देने जाते समय भारतीय सिपाहियों को अनेक कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता था। सिपाहियों को कंपनी के अधीन सेवाएं देने के लिए विवश किया जाता था क्योंकि उनके पुराने सभी स्वामी (देशी सरदार) दृश्य से गायब हो रहे थे।

सख्त अनुशासन, व्यवहार, नए हथियार, नई विधियाँ और यूनिफार्म आदि सब सिपाहियों के लिए नए थे। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो एक लंबे समय से जीवन के पुराने ढर्रे पर टिका है, कोई भी नई चीज कठिन और गलत लगती है। मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक के अनुमोदन से कमांडर-इन-चीफ सर जॉन क्रेडॉक ने नए किस्म की पगड़ी की शुरुआत की जो यूरोपीय टोपी जैसी लगती थी। कर्णबालियाँ व अन्य जातिगत पहचान धारण करना भी प्रतिबंधित था।

सिपाहियों को दाढ़ी बनाने और मूँछे छोटी करने को कहा गया था। सिपाहियों को लगा कि यह सब उन्हें, उनकी धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को अपमानित करने के लिए लाया गया था। ऐसी लोकप्रिय अवधारणा व्याप्त थी कि यह उस प्रक्रिया की शुरुआत है जिसके तहत सभी सिपाही धीरे-धीरे ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाएंगे। अंग्रेज भारतीय सैनिकों को अपने से कमतर मानते थे। यह एक नस्लीय पूर्वाग्रह था।

41.C

The famous Padmapani and Vajrapani paintings of Bodhisattva are found in Ajanta caves. One can observe certain typological and stylistic variations in the paintings of Ajanta indicating different guilds of artisans working on the cave paintings at Ajanta over the centuries. On the other side of the image Vajrapani Bodhisattva has been painted. He holds a vajra in his right hand and wears a crown. This image also bears the same pictorial qualities as the Padmapani. Cave No. 1 has many interesting paintings of Buddhist themes such as Mahajanak Jataka, Umag Jataka, etc. The Mahajanak Jataka is painted on the entire wall side and is the biggest narrative painting. It may be observed that the paintings of Padmapani and Vajrapani and the Bodhisattvas are painted as shrine guardians. Similar such iconographic arrangement is also observed in other caves of Ajanta. However Padmapani and Vajrapani in Cave No. 1 are among the best survived paintings of Ajanta.

बोधिसत्व के सुप्रसिद्ध पद्मपाणि और वज्रपाणि चित्र अजंता की गुफाओं में मिलते हैं। अजंता के चित्रों में कुछ प्रारूपात्मक (typological) एवं शैलीगत (stylistic) भिन्नताएं देखी जा सकती हैं जो यह संकेत करती हैं कि अजंता में गुफा चित्रकारी भिन्न-भिन्न श्रेणियों (guilds) के शिल्पकारों द्वारा कई शताब्दियों में पूर्ण की गयी है। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र के दूसरी ओर वज्रपाणि बोधिसत्व की छवि चित्रित की गई है। उनके दाहिने हाथ में वज्र और सिर पर मुकुट है। इस चित्र में पद्मपाणि के चित्रमय गुण भी मिलते हैं। गुफा नं 1 में बौद्ध विषयों जैसे कि महाजनक जातक, उमग जातक आदि पर कई रोचक चित्रकारियाँ हैं। महाजनक जातक सम्पूर्ण दीवार पर चित्रित है जो सबसे बड़ी कथा चित्रकारी है। यह भी दृष्टव्य है कि पद्मपाणि, वज्रपाणि और बोधिसत्व के चित्रों को मंदिरों के संरक्षक के रूप में चित्रित किया गया है। अजंता की अन्य गुफाओं में भी लगभग इसी प्रकार की चित्रात्मक-व्यवस्था (iconographic arrangement) देखने को मिलती है। हालाँकि गुफा नंबर 1 के पद्मपाणि तथा वज्रपाणि चित्र, अजंता के शेष बचे सर्वश्रेष्ठ चित्रों में शामिल हैं।

42.D

West Bengal has the shortest coastline (157.5 Km) among the given coastal states of India. Its boundary touches with five states that is Odisha, Jharkhand, Bihar, Sikkim and Assam. As the tropic of cancer passes through the state and the northern part of the state lies above it, it does not get the vertical sunrays throughout the year.

दिए गए सभी तटीय राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा पश्चिम बंगाल (157.5 किमी) की है। इसकी सीमा पांच राज्यों, अर्थात्, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम को स्पर्श करती है। चूँकि कर्क रेखा इस राज्य से होकर गुजरती है और राज्य का उत्तरी भाग इसके ऊपर स्थित है, अतः यहाँ वर्ष के किसी भी समय सूर्य की किरण सीधी नहीं पड़ती है।

43.D

Statement 1 is not correct: Hibernation or winter sleep is quite common in cold-blooded animal but it also occur in those warm blooded animals which do not migrate from area of intense cold. Frog, an ectothermal animal shows both hibernation and aestivation (summer sleep).

Statement 2 is not correct: During true hibernation animal's body temperature drops but remains above the outside atmosphere and rate of breathing and heartbeat becomes slow.

कथन 1 सही नहीं है: असमतापी (कोल्ड ब्लड) जंतुओं में शीत निष्क्रियता सामान्य बात है किन्तु यह क्रिया गर्म रक्त वाले जंतुओं में भी होती है जो अत्यधिक ठंडे क्षेत्रों से पलायन नहीं करते हैं। मेंढक एक एक्टोथर्मल (ectothermal) प्राणी है अर्थात् ऐसा प्राणी जिसके शरीर का तापमान बाह्य कारकों द्वारा विनियमित होता है। यह शीत निष्क्रियता और एस्टीवेशन (ग्रीष्म कालीन नींद) दोनों का व्यवहार प्रदर्शित करता है।

कथन 2 सही नहीं है: वास्तविक शीत निष्क्रियता के दौरान जंतुओं के शरीर का तापमान गिर जाता है, किन्तु फिर भी यह बाह्य वातावरण से अधिक बना रहता है और श्वसन की दर और हृदयगति धीमी हो जाती है।

44.C

In the Supreme Court's **right to privacy judgment** (*Justice K.S. Puttaswamy v. Union of India*), Justice D.Y. Chandrachud held that **'The right to privacy is protected as an intrinsic part of the right to life and personal liberty under Article 21 and as a part of the freedoms guaranteed by Part III of the Constitution'**.

Article 19(1) (c) of the Constitution of India guarantees to all its citizens the right "to form associations, or unions or Co- Operative Societies."The right to form association includes the right to form companies, societies, partnerships,, trade union and political parties. The right guaranteed is not merely the right to form association but also to continue with the association as such. The freedom to form association implies also the freedom to form or not to form, to join or not to join , an association or union. Under clause (4) of the Article 19 , however ,the State may by law impose reasonable restrictions on this right in the interest of public order or morality or the sovereignty and integrity of India.

The 44th Amendment Act of 1978 abolished the right to property as a Fundamental Right by repealing Article 19(1)(f) and Article 31 from Part III. It inserted a new Article 300A under the heading 'Right to Property'. **Now, it is a legal right.**

Right to Constitutional Remedies provided under Article 32 confers the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights of an aggrieved citizen. In other words, the **right to get the Fundamental Rights protected is in itself a fundamental right.** This makes the fundamental rights real. That is why Dr Ambedkar called Article 32 as the most important article of the Constitution—"an Article without which this constitution would be a nullity. It is the very soul of the Constitution and the very heart of it". The Supreme Court has ruled that Article 32 is a basic feature of the Constitution. Hence, it cannot be abridged or taken away even by way of an amendment to the Constitution.

Hence, option (c) is correct.

निजता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय (न्यायमूर्ति के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारत संघ) में, न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड ने कहा कि 'गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में और संविधान के भाग III द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के भाग के रूप में संरक्षित है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1)(c) अपने सभी नागरिकों को 'सभा या संघ या सहकारी समितियां गठित करने के अधिकार' की गारंटी देता है। 'सभा गठित करने के अधिकार में कंपनियां, सोसायटी, साझेदारी, व्यापार संघ और राजनीतिक दल गठित करने का अधिकार सम्मिलित है। प्रत्याभूत अधिकार के अंतर्गत न केवल सभा निर्मित करने का अधिकार अपितु सभा के साथ बने रहने का अधिकार भी सम्मिलित है। सभा गठित करने की स्वतंत्रता का तात्पर्य सभा या संघ गठित करने या न करने, सभा या संघ में सम्मिलित होने या न होने की स्वतंत्रता भी निहित है। हालांकि, अनुच्छेद 19 के खंड (4) के अंतर्गत, राज्य कानून द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता अथवा भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में इस अधिकार पर व्यक्तिगत निर्बंधन आरोपित किये जा सकते हैं।

1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भाग III से अनुच्छेद 19 (1) (f) और अनुच्छेद 31 को निरस्त कर संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इसके साथ ही इस संशोधन के तहत 'संपत्ति का अधिकार' शीर्षक के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 300A अंतर्विष्ट किया गया। वर्तमान में, यह एक विधिक अधिकार है।

अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदान किया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पीड़ित नागरिक के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, **मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही एक मूल अधिकार है।** यह मूल अधिकारों को वास्तविक बनाता है। यही कारण है कि डॉ. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुच्छेद कहा। डॉ. अंबेडकर के शब्दों में – "यह वह अनुच्छेद है, जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा। यह संविधान की आत्मा और इसका हृदय है।" सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अनुच्छेद 32 संविधान के मूल ढाँचे का भाग है। अतः संविधान के संशोधन के माध्यम से इसे कम या समाप्त नहीं किया जा सकता है।

इसलिए, विकल्प (c) सही है।

45.B

Surendra Nath Banerjee and Anand Mohan Bose founded the **Indian Association** at Calcutta in 1876. The Indian Association was designed to stimulate public opinion in India on political questions and to unite Indians around a common political programme. The Indian Association protested against reduction in maximum age for appearing in Indian Civil Service. It took up this question and organized an all-India agitation against it, popularly known as the Indian Civil Service agitation.

1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कलकत्ता में **इंडियन एसोसिएशन** की स्थापना की। इस संगठन की स्थापना राजनीतिक प्रश्नों पर भारत में जनता की राय को उत्प्रेरित करने और साझा राजनीतिक कार्यक्रम हेतु भारतीयों को एकजुट करने के उद्देश्य

से की गयी थी। इंडियन एसोसिएशन ने भारतीय सिविल सेवा में बैठने की अधिकतम आयु में कटौती का विरोध किया। एसोसिएशन ने आयु में कटौती के प्रश्न को उठाया और इसके विरुद्ध अखिल भारतीय आंदोलन का आयोजन किया, जिसे भारतीय सिविल सेवा आंदोलन कहा जाता है।

46.A

According to the recommendations of Montford Reforms (1921), the Chamber of Princes (Narender Mandal or Narendra Mandal) was an institution established by a royal proclamation of King-Emperor George V to provide a forum in which the rulers of the princely states of India could voice their needs and aspirations to the colonial government of British India. **Hence, statement 1 is correct.**

It was set up as a consultative and advisory body having no say in the internal affairs of individual states and having no powers to discuss matters concerning existing rights and freedoms of the Princely states. **Hence, statement 2 is not correct.**

मान्टफोर्ड सुधारों (1921) की अनुशंसाओं के अनुसार, चैंबर ऑफ प्रिंसेस (नरेंद्र मंडल या नरेन्द्र मंडल) की स्थापना राजा-सम्राट जॉर्ज पंचम की शाही घोषणा द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना एक ऐसे मंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी जहाँ भारतीय रियासतों के शासक ब्रिटिश भारत की औपनिवेशिक सरकार से अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को लेकर आवाज उठा सके। **इसलिए, कथन 1 सही है।** इसकी स्थापना परामर्शदात्री और सलाहकारी निकाय के रूप में की गयी थी, जिसका रियासतों के आंतरिक मामलों से कोई मतलब नहीं था। इसके पास रियासतों में विद्यमान अधिकारों और स्वतंत्रताओं से संबंधित मामलों पर चर्चा करने की कोई शक्ति नहीं थी। **इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।**

47.D

- After the Second Buddhist council held at Vaishali, two great schools, the '**Sthaviravadins**' (Hinayana) and '**Mahasanghikas**' came into being. By the time of Ashoka, there were eighteen different schools. Ashoka convoked the third council to stem the tide. In the ultimate, Mahasanghikas paved way for the emergence of '**Mahayana**' (large Vehicle) in the first century AD. The Mahayanists emphasis on the Bodhisattva theory, led to the emergence of another school called '**Yogacara**'. In this school, not only imaginary beings but exponents or leaders of various sects were also defined as Bodhisattvas. As a result of **inter-mingling of Buddhistic and Brahmanical speculations the Yogacara school paved way for 'Vajrayana' or Tantric Buddhism.** Today, **there are three major types of Buddhism; Theravada, Mahayana and Vajrayana.**
- Other sects of the Sthaviradins or Hinayana are Sarvastivadins** (They who say "All is"), who had a canon in Sanskrit, and who differed from the Sthaviravadins in their view that the constituents of phenomena (dharma) were not wholly momentary, but existed forever in a latent form.
- Another important sect was that of the **Sautrantikas**, who maintained that our knowledge of the outside world was only a feasible inference, and who were well on the way to the idealism of some schools of the Great Vehicle.
- The **Sammitiyas** another Buddhist sect, rejected the doctrine of soullessness and to postulate a sort of soul in the pudgola or person, which passed from life to life. These early sects of Buddhism probably gave much encouragement to the evolution of Indian philosophy, as distinct from mystical speculation.
- वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगीति पश्चात्, दो संप्रदाय '**स्थविरवाद**' (हीनयान) और '**महासांघिक**' अस्तित्व में आए। अशोक के समय तक, अठारह विभिन्न संप्रदाय थे। अशोक ने इस बढ़ते विभाजन को रोकने के लिए तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। महासांघिक ने प्रथम सदी ईस्वी में '**महायान**' (बृहत्तर वाहन) के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। महायानवादियों ने बोधिसत्व सिद्धांत पर बल दिया, जिससे '**योगकर**' नामक एक और संप्रदाय का उद्भव हुआ। इस संप्रदाय में, न केवल काल्पनिक प्राणियों बल्कि विभिन्न पंथों के प्रतिपादकों या गुरुओं को भी बोधिसत्व के रूप में परिभाषित किया गया। **बौद्ध और ब्राह्मणवादी कल्पनाओं के सम्मिश्रण से योगकर संप्रदाय ने 'वज्रयान' या तांत्रिक बौद्ध धर्म का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान में बौद्ध धर्म के तीन प्रमुख प्रकार हैं; थेरवाद, महायान और वज्रयान।**
- स्थविरवादी या हीनयान का दूसरा संप्रदाय सर्वास्तिवादी हैं** (वे जो 'सभी हैं'), जिनका सिद्धांत संस्कृत में था, और जो अपने इस विचार में स्थविरवादियों से भिन्न थे कि परिघटना (धर्मा) के घटक तत्व पूरी तरह क्षणिक नहीं होते हैं, बल्कि सदैव अव्यक्त रूप में अस्तित्व में रहते हैं।
- एक अन्य महत्वपूर्ण संप्रदाय **सौत्रान्तिकों** का था, जिन्होंने आग्रह किया कि बाह्य जगत का हमारा ज्ञान केवल व्यावहारिक अनुमान है, और वे महायान के कुछ संप्रदायों के आदर्शवाद के मार्ग पर थे।
- बौद्ध धर्म के एक अन्य संप्रदाय **सम्मितियों** ने अनात्मवाद के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया और पुद्गल या व्यक्ति में एक प्रकार की आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया, जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक स्थानांतरित होती रहती है। बौद्ध धर्म के इन

प्रारंभिक संप्रदायों ने संभवतः रहस्यवादी अनुमानों से पृथक, एक सुस्पष्ट भारतीय दर्शन के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन प्रदान किया।

48.A

Though Banni is essentially a drought prone area, it has one important natural wetland: the Chari-Dhand. This is the biggest water body in the area and a lifeline for humans and livestock. It is also home to one of the biggest congregation of cranes and flamingos in the country. Banni is famous for its rich birdlife. It hosts many important bird species, both resident and transient. White-eared bulbul, Temminck's stint, Marshall's iora, Eurasian stone-curlew, Red-tailed shrike are some of the birds that one can see here. Endangered birds recorded in Banni include Dalmatian pelican, Oriental darter, Black-necked stork, Marbled duck, Indian skimmer, Cinereous vulture, Lesser florican, Houbara bustard and White-winged black tit. Animals like chinkara, golden jackal, Indian hare, Indian wolf, Asiatic wildcat and dessert fox are also seen.

Chir Batti is said to be caused by the oxidation of gases phosphine, diphosphane, and methane. These gases are produced here by the organic decay of the prehistoric vegetation trapped underneath the soil. These gases spontaneously ignite on contact with oxygen in air to create the ephemeral fires.

यद्यपि बन्नी अनिवार्य रूप से एक सूखा प्रवण क्षेत्र है, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि भी है: छड़ी-धंड (Chari-Dhand)। यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जल निकाय है तथा मानव एवं पशुधन के लिए एक जीवन रेखा है। यह सारस और फ्लेमिंगो के देश में सबसे बड़े समूहों का आवास है। बन्नी अपनी समृद्ध पक्षी विविधता के लिए विख्यात है। यह स्थानीय और प्रवासी दोनों ही प्रकार की कई महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों का आश्रय स्थल है। वाइट ईयर्ड बुलबुल, टेम्मिंक स्टिंट, मार्शलस आयोरा, यूरेशियन स्टोन-कलर्यू, रेड टेल्ड श्राइक आदि कुछ ऐसे पक्षी हैं जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है।

बन्नी में दृष्टिगोचर एंडेंजर्ड पक्षियों में डाल्मेशियन पेलिकन, ओरियन्टल डार्टर, ब्लैक नेक्ड स्टॉक, मार्बल्ड डक, इंडियन स्किमर, सिनेरस वल्चर, लेसर फ्लोरिकन, हुबारा बस्टर्ड और वाइट विंग ब्लैक टिट (White-winged black tit) सम्मिलित हैं। चिंकारा, गोल्डेन जैकल, भारतीय खरगोश, भारतीय भेड़िया, एशियाई जंगली बिल्ली (Asiatic wildcat) और रेगिस्तानी लोमड़ी जैसे वन्यजीवों को भी यहाँ देखा जा सकता है।

माना जाता है कि 'चीड़ बत्ती' का कारण फॉस्फीन, डिफॉस्फीन और मीथेन गैसों का ऑक्सीकरण है। ये गैसें यहाँ मिट्टी के नीचे दबे प्रागैतिहासिक वनस्पतियों के कार्बनिक क्षय के कारण उत्पन्न होती हैं। वायु में ऑक्सीजन के सम्पर्क में आते ही ये गैसें प्रज्वलित हो उठती हैं और इनसे कुछ देर के लिए आग जल जाती है।

49.D

Under Article 58, a candidate should fulfill the following eligibility conditions to contest the election to the Office of President: -

1. **Must be a citizen of India,**
2. **Must have completed 35 years of age,**
3. **Must be eligible to be a member of the Lok Sabha,**
4. **Should not be holding any office of profit under the Government of India or the Government of any State or under any local or other authority subject to the control of any of the said Governments.**

However, the candidate may be holding the office of President or Vice-President or Governor of any State or Ministers of the Union or any State and shall be eligible to contest election.

अनुच्छेद 58 के अंतर्गत, राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने हेतु एक प्रत्याशी को निम्नलिखित अर्हताओं को धारण करना चाहिए:

1. **उसे भारत का नागरिक होना चाहिए,**
2. **35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए,**
3. **लोकसभा का सदस्य होने के लिए अर्ह होना चाहिए,**
4. **भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार अथवा इन सरकारों के नियंत्रण वाले किसी भी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए।**

हालाँकि, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल या संघ अथवा किसी राज्य के मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति, चुनाव में प्रत्याशी होने का पात्र होता है।

50.A

The agreement, adopted after months of negotiations between countries, marked a milestone in forging an enhanced global partnership that aims to foster universal, inclusive economic prosperity and improve people's well-being while protecting the environment.

The ground breaking agreement, the Addis Ababa Action Agenda, provided a foundation for implementing the global sustainable development agenda. The agreement was reached by the 193 UN Member States in 2015.

The agreement, adopted after months of negotiations between countries, marked a milestone in forging an enhanced global partnership that aims to foster universal, inclusive economic prosperity and improve people's well-being while protecting the environment.

अदीस अबाबा एक्शन एजेंडा एक अभूतपूर्व समझौता है। इसने वैश्विक सतत विकास एजेंडे के कार्यान्वयन के लिए आधार प्रदान किया। कई महीनों तक चली वार्ता के पश्चात् वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों द्वारा अपनाया गया यह समझौता पर्यावरण संरक्षण के साथ ही, सार्वभौमिक व समावेशी आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन तथा लोगों की जीवन दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से एक उन्नत वैश्विक साझेदारी स्थापित करने में मील का पत्थर सिद्ध हुआ।

51.B

The Constitution empowers the Parliament to make laws on the subjects enumerated in the State List under the following five abnormal circumstances:

1. when Rajya Sabha passes a resolution to that effect.
2. when a proclamation of National Emergency is in operation. **Hence, option 1 is correct.**
3. when two or more states make a joint request to the Parliament.
4. when necessary to give effect to international agreements, treaties and conventions.
5. when President's Rule is in operation in the state. (State emergency/ Constitutional Emergency). **Hence, option 2 is correct.**

There is no such provision in case of Financial Emergency. **Hence, option 3 is incorrect.**

संविधान संसद को निम्नलिखित पाँच असामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है:

1. जब राज्यसभा द्वारा इस आशय का कोई प्रस्ताव पारित किया गया हो।
2. जब राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा प्रभावी हो। अतः, **विकल्प 1 सही है।**
3. जब दो या अधिक राज्य संसद से संयुक्त रूप से कोई अनुरोध करें।
4. जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों और अभिसमयों को प्रभावी बनाना आवश्यक हो।
5. जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो (राष्ट्रीय आपात/संवैधानिक आपात)। अतः, **विकल्प 2 सही है।**

वित्तीय आपात के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः, **विकल्प 3 सही नहीं है।**

52.A

Statement 1 is correct: The purpose of the Biodiversity Act is to realize equitable sharing of benefits arising out of the use of biological resources and associated knowledge. The main objectives of the Act are conservation, sustainable use and equitable benefit sharing out of the utilization of bioresources. The Act also covers the protection of traditional knowledge and equitable sharing of benefits arising out of the use of such knowledge.

Statement 2 is not correct: The Act does not aim at banning the use of medicinal plants by vaidas and hakims and for traditional practices. They will continue to have free access to resources and knowledge. An explicit exemption has been made in section 7 for local people and communities, including growers and cultivators of biodiversity, and vaidas and hakims. Moreover commercial utilization has been defined in section 2, which also specifically excludes traditional practices and use in agriculture, horticulture, poultry, dairy farming, animal husbandry etc.

Statement 3 is not correct: As per the provisions of BD Act human genetic material is excluded from the definition of biological resources and prior approval of NBA is not needed.

कथन 1 सही है: जैव विविधता अधिनियम, का उद्देश्य जैविक संसाधनों और संबद्ध ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभों के न्यायसंगत बँटवारे को वास्तविकता में परिणत करना है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य जैव संसाधनों का संरक्षण, संधारणीय उपयोग एवं उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों की न्यायसंगत साझेदारी है। यह अधिनियम पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण एवं इस ज्ञान के प्रयोग से उत्पन्न लाभों के न्यायपूर्ण वितरण को भी समाविष्ट करता है।

कथन 2 सही नहीं है: इस अधिनियम का उद्देश्य वैद्यों और हकीमों द्वारा एवं पारंपरिक पद्धतियों के लिए, औषधीय पौधों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना नहीं है। उन्हें संसाधनों और ज्ञान का निःशुल्क उपयोग करने की स्वतंत्रता जारी रहेगी। धारा-7 में जैव विविधता के उत्पादकों एवं कृषकों, एवं वैद्य और हकीमों सहित स्थानीय लोगों और समुदायों के लिए स्पष्ट छूट प्रदान की गयी है। साथ ही साथ धारा-2में व्यावसायिक उपयोग को परिभाषित किया गया है; ये भी पारंपरिक पद्धतियों, कृषि, बागवानी, मुर्गी पालन, डेयरी फार्मिंग, पशुपालन आदि को स्पष्ट रूप से छूट प्रदान करता है।

कथन 3 सही नहीं है: जैव विविधता अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, मानव आनुवंशिक सामग्री (human genetic material) को जैविक संसाधनों की परिभाषा से बाहर रखा गया है एवं इसके लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (NBA) के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

53.C

The term 'justice' in the Preamble embraces three distinct forms- social, economic and political.

Social justice denotes the equal treatment of all citizens without any social distinction based on caste, colour, race, religion, sex and so on. It means absence of privileges being extended to any particular section of the society, and improvement in the conditions of backward classes (SCs, STs and OBCs) and women.

Economic justice denotes the non-discrimination between people on the basis of economic factors. It involves the elimination of glaring inequalities in wealth, income and property. A combination of social justice and economic justice denotes what is known as 'distributive justice'.

Directive Principles of State Policy aims at promoting social and economic justice. Article 39A of Indian constitution under DPSP is to promote equal justice and to provide free legal aid to the poor.

Hence, option (c) is correct.

संविधान की उद्देशिका में 'न्याय' शब्द तीन भिन्न रूपों में समाविष्ट है- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक।

सामाजिक न्याय जाति, रंग, नृजातीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार को दर्शाता है। इसका तात्पर्य विशेषाधिकारों का समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए सीमित न होने और पिछड़े वर्ग (SC, ST और OBC) तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार से है।

आर्थिक न्याय, आर्थिक कारकों के आधार पर व्यक्तियों के मध्य गैर-भेदभाव को दर्शाता है। यह धन, आय और संपत्ति में स्पष्ट असमानताओं के उन्मूलन से सम्बंधित है। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय संयुक्त रूप से 'वितरणपरक न्याय' को प्रदर्शित करता है। **राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना है।** DPSP के अंतर्गत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सभी को समान न्याय और निर्णयों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है।

अतः, विकल्प (c) सही है।

54.A

Periyar national park lies in the middle of a mountainous area of the Cardomom hills in Kerala. It is also a elephant and tiger reserve. The park is a repository of rare, endemic and endangered flora and fauna and forms the major watershed of two important rivers of Kerala Pamba and Periyar river. The prominent peaks within the park are Pachayarmala, Vellimala, Sunderamala, Chokkampetti mala and Karimala.

Hence, option (a) is correct.

पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के कार्डमम हिल्स के पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह एक एलिफेंट रिज़र्व और एक टाइगर रिज़र्व भी है। यह उद्यान दुर्लभ, स्थानिक और लुप्तप्राय वनस्पतियों एवं जीवों का भंडार है तथा केरल की दो महत्वपूर्ण नदियों, पम्बा और पेरियार नदी के लिए, उनका प्रमुख जलविभाजक क्षेत्र भी है। उद्यान के भीतर पचायरमाला, वेल्लिमाला, सुंदरमाला, चोककम्पेट्टी माला और करीमाला नामक प्रमुख चोटियाँ उपस्थित हैं।

अतः, विकल्प (a) सही है।

55.D

The Sattriya, one of the classical dances of India, was introduced in the 15th century A.D by the great Vaishnava saint and reformer of Assam, Mahapurusha Sankaradeva as a powerful medium for propagation of the Vaishnava faith.

The dance form evolved and expanded as a distinctive style of dance later on. **This neo-Vaishnava treasure of Assamese dance and drama** has been, for centuries, nurtured and preserved with great commitment by the Sattras i.e. Vaishnava maths or monasteries. Because of its religious character and association with the Sattras, this dance style has been aptly named Sattriya.

Both drums and cymbals are used while performing this dance drama.

It was **sent as a nomination from Indian side to the UNESCO Intangible Cultural Heritage List in 2010, but it has not been inscribed in the list yet.**

सत्रिया नृत्य (Sattriya dance) का सूत्रपात 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रसार के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में किया गया था। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है।

कालान्तर में इसका विकास एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में हुआ। असमिया **नृत्य और नाटक की यह नव-वैष्णव निधि** सदियों से सत्रों अर्थात् वैष्णव मठों/विहारों द्वारा प्रतिबद्धता के साथ विकसित और संरक्षित की गयी है। इसके धार्मिक चरित्र और सत्रों के साथ इसके संबंध को देखते हुए, इस नृत्य शैली को सत्रिया नाम दिया गया है।

इस नृत्य नाटक के प्रदर्शन में ढोल (Drum) और झांझ (cymbals) दोनों का उपयोग किया जाता है।

वर्ष 2010 में इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था।

56.D

Index of Eight Core Industries (ICI) measures collective and individual performance of production in selected eight core industries viz. Coal, Crude Oil, Natural Gas, Petroleum Refinery Products, Fertilizers, Steel, Cement and

Electricity. The Eight Core Industries comprise 40.27 % of the weight of items included in the Index of Industrial Production (IIP). **Hence, statement 1 is not correct.**

The Index is compiled and released by Office of the Economic Adviser (OEA), Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry, Government of India. The objective of the ICI is to provide an advance indication on production performance of industries of 'core' nature before the release of Index of Industrial Production (IIP) by Central Statistics Office. **Hence, statement 2 is not correct.**

आठ कोर उद्योगों का सूचकांक (ICI), आठ चुनिंदा कोर उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन का सामूहिक रूप से एवं साथ ही अलग-अलग मापन करता है। ये उद्योग हैं- कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम शोधन उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में सम्मिलित वस्तुओं का 40.27% भार इन्हीं आठ कोर उद्योगों में निहित है। **इसलिए, कथन 1 सही नहीं है।** यह सूचकांक औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) के आर्थिक सलाहकार कार्यालय (OEA) द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। DIPP भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। ICI का उद्देश्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) जारी करने से पहले 'मूल' प्रकृति के उद्योगों के उत्पादन प्रदर्शन पर एक अग्रिम संकेत प्रदान करना है। **इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।**

57.B

Statement 1 is not correct: Satpura range spread over four states that is Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh and Gujarat.

Statement 2 is correct: Palghat separates Nilgiri hills and Anaimalai hills.

कथन 1 सही नहीं है: सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला चार राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में विस्तृत है।

कथन 2 सही है: पालघाट दर्रा नीलगिरि पहाड़ियों को अन्नामलाई पहाड़ियों से पृथक करता है।

58.D

Negative Emission Technologies are those technologies which remove carbon dioxide from the atmosphere . Some of them are:

- Natural:
 - **Afforestation:** tree growth takes up Carbon Dioxide from the atmosphere
 - Biochar: partly burnt biomass is added to soil absorbing additional Carbon Dioxide
 - **Soil Carbon Sequestration:** Land management changes increase the soil carbon content, resulting in a net removal of Carbon Dioxide from the atmosphere
 - Other Land-use/Wetlands: Restoration or construction of high carbon density, anaerobic ecosystems
- Technological:
 - Accelerated Weathering: Natural minerals react with Carbon Dioxide and bind them in new minerals
 - Direct Air-Capture: Carbon Dioxide is removed from ambient air and stored underground
 - **Ocean alkalinity enhancement:** Alkaline materials are added to the oceans to enhance atmospheric drawdown and negative acidification
 - Carbon Dioxide to durable carbon: Carbon Dioxide is removed from the atmosphere and bound in long-lived materials
- Combined (Natural+ technological)
 - Bioenergy with Carbon Capture and Storage (BECCS): Plants turn Carbon Dioxide into biomass that fuels energy systems; Carbon Dioxide from conversion is stored underground

नकारात्मक उत्सर्जन तकनीकों के अंतर्गत वे तकनीकें सम्मिलित हैं, जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाती हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- **प्राकृतिक:**
- **वनीकरण:** वृक्षों की वृद्धि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उद्ग्रहण कर लेती है।
- **बायोचार (BIOCHAR):** इसके अंतर्गत पूर्णतः जला हुआ बायोमास मृदा में सम्मिश्रित किया जाता है। यह अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है।
 - **मृदा कार्बन प्रच्छादन (Soil Carbon Sequestration):** भूमि प्रबंधन की विधियों में परिवर्तन, मृदा के कार्बन अंश को बढ़ाता है, जिसके परिणामस्वरूप वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का निकास हो जाता है।
 - अन्य भू-उपयोग/आर्द्रभूमियाँ: उच्च कार्बन घनत्व, अवायवीय पारिस्थितिक तंत्रों की पुनर्स्थापना या निर्माण।
- **तकनीकी:**

- **त्वरित अपक्षय:** प्राकृतिक खनिज कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं और उन्हें नए खनिजों में आबद्ध कर देते हैं।
- **प्रत्यक्ष वायु-प्रग्रहण (Direct Air-Capture):** कार्बन डाइऑक्साइड को परिवेशी वायु से पृथक कर दिया जाता है तथा भूमि के नीचे संग्रहित किया जाता है।
- **महासागरीय क्षारीयता वृद्धि:** वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रग्रहण (कैप्चर) बढ़ाने तथा और महासागरीय अम्लता को कम करने हेतु महासागरों में क्षारीय पदार्थों को संयोजित किया जाता है।
- **कार्बन डाइऑक्साइड से स्थायी कार्बन:** वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को हटा कर उसे दीर्घजीवी पदार्थों (long-lived materials) में आबद्ध कर दिया जाता है।
- **संयुक्त (प्राकृतिक+तकनीकी)**
 - **बायोएनर्जी विद कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज (BECCS):** पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को बायोमास में परिवर्तित करते हैं जो ऊर्जा प्रणालियों को ईंधन प्रदान करता है। इस परिवर्तन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को भूमि के नीचे संग्रहित किया जाता है।

59.B

Statement 1 is correct and statement 3 is not correct: The Government of India has launched Samagra Shiksha - An Integrated Scheme for school education, w.e.f. 2018-19, which is an overarching programme for the school education sector extending from pre-school to class XII and aims to ensure inclusive and equitable quality education at all levels of school education. It envisages the 'school' as a continuum from pre-school, primary, upper primary, secondary to senior secondary levels and subsumes the three erstwhile centrally sponsored schemes i.e. Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA) and Teacher Education (TE).

Statement 2 is correct: Bridging gender and social category gaps at all levels of school education is one of the major objectives of the scheme. The scheme reaches out to girls and children belonging to Scheduled Caste (SC), Scheduled Tribe (ST), minority communities and transgender. The scheme also gives attention to urban deprived children, children affected by periodic migration and children living in remote and scattered habitations. Under the scheme, provision has been made for giving preference to Special Focus Districts (SFDs), Educationally Backward Blocks (EEBs), LWE affected districts, and aspirational districts while planning interventions like setting up of primary schools, upper primary schools, construction of additional classrooms, toilets, Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas (KGBVs).

कथन 1 सही है तथा कथन 3 सही नहीं है: भारत सरकार द्वारा 2018-19 में स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना 'समग्र शिक्षा' लागू की गयी है। यह स्कूली शिक्षा क्षेत्र (प्री-स्कूल से 12वीं कक्षा तक) के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और उचित गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में स्कूल की परिकल्पना प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तरों तक की शिक्षा की निरंतरता के रूप में की गई है। इस योजना में पहले की तीन केंद्र प्रायोजित योजनाएं – सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) तथा शिक्षक शिक्षा (TE) सम्मिलित कर ली गई हैं।

कथन 2 सही है: विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक एवं सामाजिक वर्ग संबंधी अंतरालों को समाप्त करना इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। यह योजना लड़कियों, अनुसूचित जातियों (SCs), अनुसूचित जनजातियों (STs) व अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बच्चों तथा साथ ही ट्रांस जेंडरों तक पहुंच स्थापित करती है। योजना के तहत शहरी वंचित बच्चों, आवधिक प्रवासन से प्रभावित बच्चों एवं दूरदराज और छिटपुट बस्तियों में निवास करने वाले बच्चों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (KGBV) की स्थापना एवं अतिरिक्त कक्षागृहों व शौचालयों के निर्माण की योजना को तैयार करने के दौरान विशेष ध्यान दिए जाने वाले जिलों (SFDs), शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े खण्डों (EEBs), वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित जिलों और आकांक्षी जिलों को वरीयता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

60.B

- **Statement 1 and 3 are correct:** The Nobel Prize in physiology or medicine has been jointly awarded to James P. Allison and Tasuku Honjo for their discovery of 'immune checkpoint therapy,' a cancer treatment.
- **Statement 2 is not correct:** Checkpoint Inhibitors can physically block the checkpoint, which frees the immune system to attack cancer, By stimulating the inherent ability of our immune system to attack tumor cells by releasing the brakes on immune cells. **These Checkpoint Inhibitors are essentially Drugs and Four such checkpoint inhibitors have been approved by the US Food and Drug Administration.**
- Other Nobel Prizes are mentioned here, for Physics 2018, Noble Prize was awarded for groundbreaking inventions in the field of laser physics with one half to Arthur Ashkin for the optical tweezers and their application to biological systems, the other half jointly to Gérard Mourou and Donna Strickland for their

method of generating high-intensity, ultra-short optical pulses. The Nobel Prize in Chemistry 2018 was divided, one half awarded to Frances H. Arnold for the directed evolution of enzymes, the other half jointly to George P. Smith and Sir Gregory P. Winter for the Phage Display of peptides and antibodies.

- **कथन 1 और 3 सही हैं:** जेम्स पी. एलिसन और तासुकू होंजो को इम्यून चेकपॉइंट थेरेपी (कैंसर उपचार) की खोज करने के लिए शरीर विज्ञान अथवा मेडिसिन में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
- **कथन 2 सही नहीं है:** चेकपॉइंट इनहिबिटर, चेकपॉइंट प्रक्रिया को भौतिक रूप से अवरुद्ध कर सकते हैं। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्यून सिस्टम) पर आरोपित अवरोधों को समाप्त कर तथा ट्यूमर कोशिकाओं से लड़ने हेतु इम्यून सिस्टम की अंतर्निहित क्षमता को तीव्र कर उसे कैंसर से लड़ने में सक्षम बनाता है। ये चेकपॉइंट इनहिबिटर मूलतः औषधि होते हैं और ऐसे चार चेकपॉइंट इनहिबिटर्स को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US Food and Drug Administration) द्वारा अनुमोदित किया गया है।
- अन्य नोबेल पुरस्कार यहां उल्लिखित किये गए हैं:

2018 में भौतिकी के लिए नोबेल को लेजर भौतिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियों हेतु दो भागों में प्रदान किया गया। एक भाग आर्थर अशकिन को ऑप्टिकल ट्वीजर्स एवं जैविक प्रणाली में उनके अनुप्रयोग के लिए प्रदान किया गया। दूसरे भाग को गेर्हार्ड मोउरो और डोना स्ट्रिकलैंड को उच्च तीव्रता वाली अल्ट्रा-शॉर्ट ऑप्टिकल पल्सेज (high-intensity, ultra-short optical pulses) उत्पन्न करने की पद्धति खोजने के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया।

2018 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी विभाजित करके प्रदान किया गया। पुरस्कार का एक भाग एंजाइमों के निर्देशित विकास (directed evolution of enzymes) के लिए फ्रांसिस एच. अर्नाल्ड को तथा दूसरा भाग संयुक्त रूप से जॉर्ज पी. स्मिथ और सर ग्रेगरी पी. विंटर को पेप्टाइड्स और एंटीबॉडीज़ के फेज डिस्प्ले (Phage Display) के लिए प्रदान किया गया।

61.C

The Indian Independence Act of 1947 made the following three changes in the position of the Assembly:

1. The Assembly was made a fully sovereign body, which could frame any Constitution it pleased. The act empowered the Assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India.
2. The Assembly also became a legislative body. In other words, two separate functions were assigned to the Assembly, that is, making of a constitution for free India and enacting of ordinary laws for the country. These two tasks were to be performed on separate days. Thus, the Assembly became the first Parliament of free India (Dominion Legislature). Whenever the Assembly met as the Constituent body it was chaired by Dr. Rajendra Prasad and when it met as the legislative body, it was chaired by G V Mavlankar. These two functions continued till November 26, 1949, when the task of making the Constitution was over.

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा की स्थिति में निम्नलिखित तीन परिवर्तन किए गए:

1. सभा को एक पूर्ण संप्रभु इकाई बना दिया गया जो अपनी मर्जी के संविधान का निर्माण कर सकती थी। इस अधिनियम ने इस सभा को भारत के संदर्भ में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त अथवा संशोधित करने की शक्ति प्रदान की।
2. यह सभा एक विधान निर्मात्री संस्था भी बन गई। अन्य शब्दों में, सभा को दो अलग-अलग कार्य दिए गए, अर्थात् स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का निर्माण और देश हेतु साधारण विधानों का अधिनियमन। ये दोनों कार्य अलग-अलग दिवसों में किए जाने थे। इस प्रकार, यह सभा स्वतंत्र भारत (डोमिनियन लेजिस्लेचर) की पहली संसद बनी। जब भी यह सभा संविधान सभा के तौर पर समवेत होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉ. राजेन्द्र प्रसाद करते थे, तथा जब यह एक विधायिका के तौर पर समवेत होती थी, इसकी अध्यक्षता जी वी मावलंकर करते थे। ये दोनों कार्य 26 नवंबर 1949 को संविधान के निर्माण का कार्य पूरा होने तक जारी रहे।

62.C

Major Committees

1. Union Powers Committee – Jawaharlal Nehru
2. Union Constitution Committee – Jawaharlal Nehru
3. Provincial Constitution Committee – Sardar Patel
4. Drafting Committee – Dr. B.R. Ambedkar
5. Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Areas – Sardar Patel. This committee had the following sub-committees:
 - (a) Fundamental Rights Sub-Committee – J.B. Kripalani
 - (b) Minorities Sub-Committee – H.C. Mukherjee
 - (c) North-East Frontier Tribal Areas and Assam Excluded & Partially Excluded Areas Sub-Committee – Gopinath Bardoloi
 - (d) Excluded and Partially Excluded Areas (Other than those in Assam) Sub-Committee – A.V. Thakkar
6. Rules of Procedure Committee – Dr. Rajendra Prasad

7. States Committee (Committee for Negotiating with States) – Jawaharlal Nehru

8. Steering Committee – Dr. Rajendra Prasad

प्रमुख समितियां

1. संघ की शक्तियों संबंधी समिति- जवाहरलाल नेहरू

2. संघीय संविधान समिति- जवाहरलाल नेहरू

3. प्रान्तों के गठन संबंधी समिति- सरदार पटेल

4. प्रारूप समिति- डॉ. बी. आर. अंबेडकर

5. मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासियों तथा छोड़ दिए गए क्षेत्रों पर परामर्श समिति- सरदार पटेल। इस समिति की

निम्नलिखित उप-समितियां थीं:

(a) मौलिक अधिकारों संबंधी उप- समिति- जे. बी. कृपलानी

(b) अल्पसंख्यकों हेतु उप- समिति- एच. सी. मुखर्जी

(c) पूर्वोत्तर फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र और असम से बाहर रखे गए व अंशतः बाहर रखे गए क्षेत्रों संबंधी उप- समिति

– गोपीनाथ बारदोलाई

(d) बाहर रखे गए अथवा अंशतः बाहर रखे गए (असम के अलावा) क्षेत्रों संबंधी उप- समिति – ए.वी. ठक्कर

6. प्रक्रिया के नियमों संबंधी समिति- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

7. राज्यों संबंधी समिति (राज्यों से वार्ता करने हेतु समिति) –जवाहरलाल नेहरू

8. स्टीयरिंग समिति- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

63.D

All of the above terms were added by 42nd Constitutional Amendment rather than 44th.

ये सभी शब्द 44 वें की बजाए 42 वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे।

64.A

Article 3 authorises the Parliament to:

- form a new state by separation of territory from any state or by uniting two or more states or parts of states or by uniting any territory to a part of any state,
- increase the area of any state,
- diminish the area of any state,
- alter the boundaries of any state, and
- alter the name of any state.

However, Article 3 lays down two conditions in this regard: one, a bill contemplating the above changes can be introduced in the Parliament only with the prior recommendation of the President; and two, before recommending the bill, the President has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specified period.

Further, the power of Parliament to form new states includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory.

The President (or Parliament) is not bound by the views of the state legislature and may either accept or reject them, even if the views are received in time.

अनुच्छेद 3 संसद को निम्नलिखित करने की शक्ति देता है:

- किसी राज्य से किसी क्षेत्र को अलग कर अथवा दो या उससे अधिक राज्यों अथवा राज्यों के भागों को जोड़कर अथवा किसी राज्य के किसी भाग में कोई क्षेत्र जोड़कर नए राज्य का निर्माण,
- किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाना,
- किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना,
- किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन तथा
- किसी राज्य के नाम में परिवर्तन

हालांकि अनुच्छेद 3 इस संबंध में दो शर्तें रखता है: एक, ऐसे किसी परिवर्तन का प्रस्ताव करने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही संसद में पुरःस्थापित किया जा सकता है; और दूसरी, उस विधेयक को अनुमोदित करने से पूर्व राष्ट्रपति को उसे संबंधित राज्य विधानमंडल को एक निश्चित समयावधि में उसके विचार प्रस्तुत करने हेतु संदर्भित करना होता है।

इसके अतिरिक्त, संसद की नए राज्यों के निर्माण की शक्ति में किसी राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के किसी भाग को किसी अन्य राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र के साथ मिलाकर नया राज्य अथवा संघ शासित क्षेत्र बनाने की शक्ति भी शामिल है।

राष्ट्रपति (अथवा संसद) राज्य विधानमंडल द्वारा प्रकट की गई राय मानने हेतु **बाध्य नहीं है** और वह उन्हें स्वीकार अथवा खारिज कर सकता है, भले ही यह राय समय पर प्राप्त हुई हो।

65.D

Constitution confers the following rights and privileges on the citizens of India (and denies the same to aliens):

- Right against discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth (Article 15).
- Right to equality of opportunity in the matter of public employment (Article 16).
- Right to freedom of speech and expression, assembly, association, movement, residence and profession (Article 19).
- Cultural and educational rights (Articles 29 and 30).
- Right to vote in elections to the Lok Sabha and state legislative assembly.
- Right to contest for the membership of the Parliament and the state legislature.
- Eligibility to hold certain public offices, that is, President of India, Vice-President of India, judges of the Supreme Court and the high courts, governor of states, attorney general of India and advocate general of states.

भारत का संविधान निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है (और विदेशियों को देने से मना करता है):

- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्मस्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 15)।
- लोक नियोजन में अवसर की समता का अधिकार (अनुच्छेद 16)।
- वाक् व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ बनाने, संचरण, निवास व व्यापार का अधिकार (अनुच्छेद 19)।
- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 एवं 30)।
- लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने का अधिकार।
- संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने का अधिकार।
- कुछ सार्वजनिक पदों जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का उप-राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के जज, राज्यों के राज्यपाल, भारत का महान्यायाधीश तथा राज्यों के महाधिवक्ता, को धारण करने की पात्रता।

66.C

E-Way Bill

- An electronic way bill or 'e-way bill' system offers the technological framework to track intra-state as well as inter-state movements of goods of value exceeding Rs 50,000, for sales beyond 10 km in the new Goods and Services Tax (GST) regime.
- The E-way bill must be raised before the goods are shipped and should include details of the goods, their consignor, recipient and transporter.
- Under the e-way bill system, there will be no need for a separate transit pass for every state — one e-way bill will be valid throughout the country for the movement of goods.
- Every E-way bill generated by a sender or buyer of goods is to be automatically updated in the outward sales return (GSTR1) of the supplier
- Whether goods are transported on one's own or hired conveyance, by air, rail or road, the E-way bill has to be generated.
- Where the goods are handed over to a transporter for conveyance by road and neither the consignor nor the consignee has generated the E-way Bill, the transporter becomes liable to generate it.
- When the consignor or transporter generates the E-way bill, the recipient for the consignment has to either accept or reject it on the portal. If no action is taken by the recipient in 72 hours, it shall be taken as accepted.

ई-वे बिल

- इलेक्ट्रॉनिक वे बिल अथवा 'ई-वे बिल' प्रणाली नई वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के अंतर्गत 50,000 रुपये मूल्य से अधिक की वस्तुओं के 10 किमी. से अधिक दूरी में विक्रय के इंट्रा स्टेट के साथ-साथ इंटर स्टेट आवागमन का पता लगाने संबंधी फ्रेमवर्क प्रदान करती है।
- ई-वे बिल का वस्तुओं के लदान से पूर्व बनाया जाना जरूरी है और इसमें वस्तु, उनके भेजने वाले, प्राप्त करने वाले व परिवहनकर्ता का विवरण होना चाहिए।

- ई-वे बिल के अंतर्गत प्रत्येक राज्य हेतु अलग-अलग पार-पत्र की आवश्यकता नहीं होती तथा एक ई-वे बिल वस्तुओं को देशभर में लाने-ले जाने हेतु वैध होगा।
- वस्तुओं के प्रेषक अथवा क्रेता द्वारा बनाया गया प्रत्येक ई-वे बिल आपूर्तिकर्ता के आउटवर्ड सेल्स रिटर्न (GSTR1) में स्वतः अपडेट होगा।
- वस्तुओं को अपने स्वयं के अथवा किराये के, वायुमार्ग, रेल अथवा रोड परिवहन में ले जाने पर ई-वे बिल बनाना आवश्यक है।
- जहाँ वस्तुओं को सड़क मार्ग से प्रेषण हेतु किसी ट्रांसपोर्टर को दिया जाता है और प्रेषक व प्राप्तकर्ता किसी ने भी ई-वे बिल नहीं बनाया है, ऐसे में इसे बनाना ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।
- जब भेजने वाला अथवा ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल बनाता है, सामान के प्राप्तकर्ता को इसे पोर्टल पर या तो स्वीकार करना या खारिज करना होगा। यदि प्राप्तकर्ता द्वारा 72 घंटों तक कोई कार्यवाही नहीं की जाती, इसे स्वीकृत कर लिया माना जाएगा।

67.C

Alternative Investment Funds

- In India, alternative investment funds (AIFs) are defined in Regulation 2(1)(b) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012.
- It refers to any privately pooled investment fund, (whether from Indian or foreign sources), in the form of a trust or a company or a body corporate or a Limited Liability Partnership (LLP) which are not presently covered by any Regulation of SEBI governing fund management (like, Regulations governing Mutual Fund or Collective Investment Scheme) nor coming under the direct regulation of any other sectoral regulators in India-IRDA, PFRDA, RBI.
- Hence, in India, AIFs are private funds which are otherwise not coming under the jurisdiction of any regulatory agency in India.

Types of AIFs

- Category I AIF are those AIFs with positive spill over effects on the economy, for which certain incentives or concessions might be considered by SEBI or Government of India
- Category II AIF are those AIFs for which no specific incentives or concessions are given
- Category III AIF are funds that are considered to have some potential negative externalities in certain situations and which undertake leverage to a great extent

They are taxable.

वैकल्पिक निवेश कोष

- भारत में, वैकल्पिक निवेश कोषों (AIFs) को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012 के विनियम 2(1)(b) द्वारा परिभाषित किया जाता है।
- यह निजी तरीके से एकत्र ऐसे निवेश कोष (चाहे उनका स्रोत भारतीय हो अथवा विदेशी) को संदर्भित करता है जो ट्रस्ट अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय अथवा एक सीमित दायित्व वाली साझेदारी (LLP) के रूप में है और जो वर्तमान में सेबी के किसी कोष प्रबंधन विनियम द्वारा आच्छादित नहीं है और न ही भारत के किसी अन्य क्षेत्रीय विनियामक (IRDA, PFRDA, RBI आदि) के प्रत्यक्ष विनियमन के अंतर्गत आते हैं।
- अतः भारत में AIFs वे निजी कोष हैं जो अन्यथा भारत की किसी अन्य विनियामकीय संस्था के अंतर्गत नहीं आते।

AIFs के प्रकार

- श्रेणी I AIF वे AIFs हैं जिनका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव होता है, और जिनके लिए सेबी अथवा भारत सरकार द्वारा कुछ प्रोत्साहनों अथवा छूटों पर विचार किया जा सकता है।
- श्रेणी II AIF वे AIFs हैं जिनके लिए कोई विशेष प्रोत्साहन अथवा छूट नहीं दी जाती।
- श्रेणी III AIF वे कोष हैं जिनकी चयनित परिस्थितियों में कुछ नकारात्मक बाह्यताएं होती हैं और जो एक बड़ी सीमा तक प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं।

ये करयोग्य होते हैं।

68.B

Vidya Lakshmi Portal

- It was launched by the Government to ensure that students can avail loans easily through single window system of banks for education loans.
- It has been developed under the guidance of Department of Financial Services (Ministry of Finance), Department of Higher Education (Ministry of Human Resource Development) and Indian Banks Association (IBA)

विद्यया लक्ष्मी पोर्टल

- यह सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि छात्र बैंकों की शिक्षा ऋणों हेतु बनाई गई एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकें।
- इसे वित्तीय सेवाएं विभाग (वित्त मंत्रालय), उच्च शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के निर्देशन में विकसित किया गया है।

69.C

The main focus of Article 335 of the Constitution is the requirement of the state to acknowledge the claims of the SCs/STs while 'making appointments to posts and services'. However, Article 335 also states that the acknowledgement of such claims shall be consistent with the concerns of efficiency.

संविधान के अनुच्छेद 335 का मुख्य जोर राज्य द्वारा 'पदों और सेवाओं पर नियुक्ति करते समय' अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों को मान्यता देने की आवश्यकता पर है। हालांकि अनुच्छेद 335 यह भी कहता है कि ऐसे दावों को मान्यता दक्षता संबंधी चिंताओं के अनुरूप होनी चाहिए।

70.D

The Public Financial Management System (PFMS), earlier known as Central Plan Schemes Monitoring System (CPSMS), is a web-based online software application developed and implemented by the Office of Controller General of Accounts (CGA).

The primary objective of PFMS is to facilitate sound Public Financial Management System for Government of India (GoI) by establishing an efficient fund flow system as well as a payment cum accounting network. PFMS provides various stakeholders with a real time, reliable and meaningful management information system and an effective decision support system, as part of the Digital India initiative of GoI.

Finance Ministry launched the mandatory use of Public Finance Management System (PFMS) for all Central Sector Schemes, stating that PFMS would ensure that the benefits of the various Government Schemes reach to the last mile.

पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) जिसे पूर्व में सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम (CPSMS) के तौर पर जाना जाता था, एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो लेखा महानियंत्रक (CGA) के कार्यालय द्वारा विकसित और क्रियान्वित की गई है।

PFMS का मुख्य उद्देश्य एक कुशल कोष प्रवाह प्रणाली के साथ-साथ एक भुगतान सह एकाउंटिंग नेटवर्क की स्थापना के द्वारा भारत सरकार हेतु उचित पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम को सुविधाजनक बनाना है। PFMS भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत विभिन्न हितधारकों को रियल टाइम, विश्वसनीय और अर्थपूर्ण प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है।

वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार की सभी केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं हेतु आवश्यक रूप से पब्लिक फाइनेंसियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) का प्रयोग यह कहते हुए आरंभ किया है कि PFMS विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित करेगी।

71.B

Jal Marg Vikas Project (JMVP)

- JMVP on NW-1 is being implemented with the financial and technical support of the World Bank.
- The Project entails development of fairway with 3 meters depth between Varanasi and Haldia (Phase-I) covering a distance of 1380 km.
- The project falls in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand and West Bengal

Benefits

- It will provide an alternative mode of environment-friendly and cost-effective transport.
- It will contribute to bringing down logistics costs in the country
- It will boost infrastructure development like multi-modal and inter-modal terminals, Roll on-Roll off (Ro-Ro) facilities, ferry services and navigation aids.

जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP)

- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) को विश्व बैंक की तकनीकी और निवेश सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है।
- इस परियोजना के अंतर्गत वाराणसी से हल्दिया (चरण-I) के बीच तीन मीटर गहराई वाले फेयरवे को विकसित किया जाना है जो 1380 किमी. की दूरी कवर करेगा।
- यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और प. बंगाल में पड़ती है।

लाभ

- यह परिवहन का एक पर्यावरण-हितैषी और लागत-प्रभावी वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाएगा।
- यह देश में संचारिकी लागतों को कम करने में योगदान देगा।
- यह मल्टी-मोडल और इंटर-मोडल टर्मिनल्स, रोल ऑन-रोल ऑफ (Ro-Ro) सुविधाएं, फेरी सेवाएं और नौवहन मदद जैसे अवसंरचना विकास को बढ़ावा देगा।

72.A

Computer scientists and a student team from the IIT- Madras have developed a industry-standard microprocessors (RISECREEK).

About

- It can be adapted by others, as the design is open source
- It can meet the demands of defence and strategic equipment such as NAVIC (Indian Regional Navigation Satellite) and Internet of Things (IoT) electronics.
- The initial batch of 300 chips named RISECREEK, produced under Project Shakti.
- Project Shakti started in 2014 as an IIT-M initiative.

कंप्यूटर वैज्ञानिकों और IIT-मद्रास की एक छात्र टीम ने एक उद्योग-मानक माइक्रोप्रोसेसर (RISECREEK) विकसित किया है।

संबंधित तथ्य

- इसे अन्यो के द्वारा भी अपनाया जा सकता है क्योंकि इसका डिज़ाइन ओपन सोर्स है।
- यह NAVIC (इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट) और इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे रक्षा और सामरिक उपकरणों की माँग को पूरा कर सकता है।
- 300 चिप्स के आरंभिक बैच को RISECREEK नाम दिया गया है और इसे प्रोजेक्ट शक्ति के अंतर्गत उत्पादित किया गया है।
- प्रोजेक्ट शक्ति 2014 में IIT-M की एक पहल के रूप में शुरू हुआ।

73.C

Indian star tortoises

- It is categorised as 'Vulnerable' in the red list of endangered species of the IUCN.
- It is listed in the Schedule IV of the Wild Life (Protection) Act, 1972 and prohibited from export under the Foreign Trade Policy.
- The species are liable for confiscation under the Customs Act, 1962.
- It has been included on Appendix II of the CITES
- Native: India (Andhra Pradesh, Karnataka, Orissa, Tamil Nadu); Pakistan; Sri Lanka
- It naturally inhabits scrub forests, grasslands, and some coastal scrublands of arid and semi-arid regions throughout its wide range, but also commonly inhabits human-dominated landscapes.

भारतीय स्टार कछुए

- यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में 'सुभेद्य' के रूप में सूचीबद्ध है।
- यह वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की सूची IV में सूचीबद्ध है और विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत इसका निर्यात प्रतिबंधित है।
- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत इसकी जब्ती की जा सकती है।
- इसे CITES के अपेंडिक्स II में शामिल किया गया है।
- स्थानिक: भारत (आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु); पाकिस्तान; श्रीलंका

- यह प्राकृतिक रूप से स्क्रब जंगलों, घासभूमियों और शुष्क एवं अर्द्धशुष्क क्षेत्रों की कुछ स्क्रबभूमियों में निवास करता है, किंतु यह मानव के वर्चस्व वाले भूदृश्यों में भी सामान्यतः निवास करता है।

74.B**Xingkong-2/Starry Sky-2**

- It is a Chinese hypersonic aircraft which could carry nuclear warheads and penetrate any current generation anti-missile defence systems

Xingkong-2/Starry Sky-2

- यह चीन का एक हाइपरसोनिक विमान है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और वर्तमान पीढ़ी की किसी भी एंटी-डिफेंस प्रणालियों को भेद सकता है।

75.B**8888 Uprising**

- August 8 marks the 30th anniversary of the people's uprising in Myanmar.
- The '8888' uprising (or the eighth day of August 1988) is one of Myanmar's most important historic days in the context of the pro-democracy movement
- It was a series of nationwide protests, marches and civil unrest.
- '8888' was a people's movement that challenged the then ruling Burma Socialist Programme Party's grip on political, economic and social affairs which led the country into extreme poverty
- The protests began as a student movement and were organised largely by university students at the Rangoon Arts and Sciences University and the Rangoon Institute of Technology (RIT).

8888 अपराइजिंग

- 8 अगस्त को म्यांमार में जन विद्रोह की 30 वीं वर्षगांठ होगी।
- '8888' अपराइजिंग (अथवा अगस्त 1988 का आठवां दिन) लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के सन्दर्भ में म्यांमार के सर्वाधिक ऐतिहासिक दिनों में से एक है।
- यह देशव्यापी विरोधों, मार्चों और नागरिक अशांति की एक श्रृंखला थी।
- '8888' एक जन आंदोलन था जिसने बर्मा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों पर पकड़ को चुनौती दी जिसके चलते देश भयंकर गरीबी में धंस गया था।
- विरोध एक छात्र आंदोलन के रूप में आरंभ हुए और इनका आयोजन रंगून आर्ट्स एंड साइंसेज यूनिवर्सिटी तथा रंगून इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (RIT) के छात्रों द्वारा किया गया था।

76.D**Lisbon Treaty**

- It updated regulations for the European Union, establishing a more centralized leadership and foreign policy, a proper process for countries that wish to leave the Union, and a streamlined process for enacting new policies.
- It was signed by the 27 member states of the European Union and officially took effect in December of 2009, two years after it was signed.
- It amends two existing treaties, the Treaty of Rome and the Maastricht Treaty.

Treaty of Rome (1957)

- It introduced the European Economic Community (EEC), reduced customs regulations between member countries, and facilitated a single market for goods and the set of policies for transporting them.
- It is also known as the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Maastricht Treaty (1992)

- It established the three pillars of the European Union and paved the way for the euro, the common currency.
- It is also known as the Treaty on European Union (TEU).

Court of Justice of the European Union was formed in 1952.

लिस्बन संधि

- इसने यूरोपीय संघ हेतु विनियमों को अद्यतन किया जिससे एक अधिक केंद्रीकृत नेतृत्व व विदेश नीति, संघ छोड़ने के इच्छुक देशों हेतु एक समुचित प्रक्रिया तथा नई नीतियों के निर्माण हेतु एक सरल प्रक्रिया स्थापित हुई।

- इस पर यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए और यह आधिकारिक रूप से दिसंबर 2009 में इसके हस्ताक्षरित होने के दो वर्ष बाद प्रभावी हुई।
- इसने दो विद्यमान संधियों को संशोधित किया, रोम की संधि और मास्ट्रिच संधि।

रोम की संधि (1957)

- इसने यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) की शुरुआत की, सदस्य देशों के बीच सीमा शुल्क घटाए और वस्तुओं के लिए एक एकल बाजार को सुविधाजनक बनाया तथा उनके परिवहन की नीतियां तय की।
- इसे ट्रीटी ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द यूरोपियन यूनियन (TFEU) के तौर पर भी जाना जाता है।

मास्ट्रिच संधि (1992)

- इसने यूरोपीय संघ के तीन स्तम्भों की स्थापना की और साझी मुद्रा यूरो के लिए मार्ग प्रशस्त किया।
- इसे ट्रीटी ऑन यूरोपियन यूनियन (TEU) के तौर पर भी जाना जाता है।

कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1952 में हुई।


77.D

Rakhine does not border with India.

राखिन की सीमा भारत के साथ नहीं लगती।



78.D



79.B

Scrub typhus

- It is a form of typhus caused by the intracellular parasite *Orientia tsutsugamushi*.

- It has particularly been shown to be the most common cause of acute encephalitis syndrome in Bihar and now in UP.
- Scrub typhus is transmitted by some species of trombiculid mites which are found in areas of heavy scrub vegetation.
- No licensed vaccines are available.

Tsutsugamushi Triangle

- Scrub typhus is endemic to a part of the world known as the tsutsugamushi triangle (after *O. tsutsugamushi*).
- This extends from northern Japan and far-eastern Russia in the north, to the territories around the Solomon Sea into northern Australia in the south, and to Pakistan and Afghanistan in the west.
- It may also be endemic in parts of South America, too.

स्क्रब टाईफस

- यह टाईफस की एक प्रकार है जो अंतराकोशिकीय परजीवी ओरिएंटिया सुटसुगमूशी के कारण होता है।
- इसे बिहार और अब उत्तर प्रदेश में गंभीर इन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के सर्वाधिक सामान्य कारण के तौर पर देखा गया है।
- स्क्रब टाईफस, ट्रॉबिकुलिद घुन की कुछ प्रजातियों द्वारा संचारित होता है जो घनी झाड़ियों वाले इलाकों में पाए जाते हैं।
- इसके लिए कोई भी लाइसेंसशुदा टीका उपलब्ध नहीं है।

सुटसुगमूशी त्रायंगल

- स्क्रब टाईफस, सुटसुगमूशी त्रायंगल (ओ. सुटसुगमूशी के नाम से लिया गया) नाम से जाने जाने वाले विश्व के इलाकों में व्याप्त है।
- यह उत्तर में उत्तरी जापान और सुदूर पूर्वी रूस से लेकर दक्षिण में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित सोलोमन सागर के आसपास के क्षेत्रों और पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक विस्तारित है।
- यह दक्षिण अमेरिका के भागों में भी स्थानिक हो सकता है।

80.B

UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance)

- It is developed by National e-Governance Division (NeGD), MeitY.
- UMANG provides a single platform for all Indian Citizens to access pan India e-Gov services ranging from Central to Local Government bodies and other citizen centric services.
- It provides a unified approach where citizens can install one application to avail multiple government services.

उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू-एज गवर्नेंस)

- इसे इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न (NeGD) द्वारा विकसित किया गया है।
- उमंग, केंद्रीय से लेकर स्थानीय सरकार निकायों की ई-सेवाओं के साथ-साथ अन्य नागरिक केंद्रित सेवाओं तक सभी भारतीय नागरिकों की पहुँच का एक एकल मंच प्रदान करती है।
- यह एक एकीकृत उपागम प्रदान करती है, जहाँ नागरिक विविध सरकारी सेवाओं को प्राप्त करने हेतु एक एप्लीकेशन इनस्टॉल कर सकते हैं।

81.D

Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)

- It was launched with a view to enhance the level of insurance penetration in the country and to provide insurance cover to common people especially poor and the Under-privileged Sections of the society.
- It is available to people between 18 and 70 years of age with bank accounts.
- It has an annual premium of ₹12 exclusive of taxes.
- The GST is exempted on Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana.
- The amount will be automatically debited from the account.
- The accident insurance scheme will have one year cover from June 1 to May 31 and would be offered through banks and administered through public sector general insurance companies.

Risk Coverage:

- Death - Rs 2 Lakh

- Total and irrecoverable loss of both eyes or loss of use of both hands or feet or loss of sight of one eye and loss of use of hand or foot - Rs 2 Lakh
- Total and irrecoverable loss of sight of one eye or loss of use of one hand or foot – Rs.1 Lakh.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)

- यह देश में बीमा कवरेज का स्तर बढ़ाने और आम आदमी (विशेषकर गरीब) व समाज के विपन्न वर्गों को बीमा कवर देने के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी।
- यह 18 से 70 वर्ष आयु के उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके बैंक खाते हैं।
- इसका वार्षिक प्रीमियम कर के अतिरिक्त ₹12 है।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को GST से छूट प्राप्त है।
- प्रीमियम की राशि खाते से स्वयं काट ली जाएगी।
- दुर्घटना बीमा योजना का कवर 1 जून से लेकर 31 मई तक एक वर्ष का होगा और बैंकों के माध्यम से इसका प्रस्ताव किया जाएगा एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के माध्यम से इसका प्रशासन किया जाएगा।

जोखिम कवरेज:

- मृत्यु होने पर - 2 लाख रुपए
- दोनों आँखों की पूर्ण एवं अप्रतिलिख्य क्षति अथवा दोनों हाथों या पैरों के प्रयोग की क्षति अथवा एक आँख की रोशनी चले जाना तथा हाथ या पैर की क्षति - 2 लाख रुपए
- एक आँख की पूर्ण एवं अप्रतिलिख्य क्षति अथवा एक हाथ अथवा पैर के प्रयोग की क्षति-1 लाख रुपए

82.D

Restricted Area Permit (RAP)

Under the Foreigners (Restricted Areas) Order, 1963, the following areas have been declared as 'Restricted' Areas -

- Andaman & Nicobar Islands - Entire Union Territory
- Sikkim - Part of the State

BUT NOW,

- Union Home Ministry decided to lift restrictions from A&N as the government intends to boost tourism.
- Foreigners no longer need a Restricted Areas Permit to visit 29 inhabited islands in the Andaman and Nicobar chain.

प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (RAP)

फॉरनर्स (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अंतर्गत निम्नलिखित को 'प्रतिबंधित' क्षेत्र घोषित किया गया है -

- अंडमान व निकोबार द्वीप समूह – समस्त संघ शासित क्षेत्र
- सिक्किम – राज्य के कुछ भाग

किंतु अब,

- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अंडमान व निकोबार से प्रतिबंध समाप्त करने का निर्णय लिया क्योंकि सरकार वहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की इच्छुक है।
- विदेशियों को अब अंडमान व निकोबार के 29 आवासित क्षेत्रों की यात्रा हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता नहीं है।

83.B

Fall Armyworm

An invasive agricultural pest Fall Armyworm (Spodoptera frugiperda) was discovered in Karnataka

About

- A major maize pest in North America, the Fall Armyworm arrived in Africa in 2016.
- The Karnataka finding is the first report of the pest in Asia.
- It feeds on around 100 different crops, such as vegetables, rice, and sugarcane.
- They practice cannibalism.

The term "armyworm" can refer to several species, often describing the large-scale invasive behavior of the species' larval stage.

फॉल आर्मीवोर्म

फॉल आर्मीवोर्म (स्पोडोप्टेरा फ्रूगेपरडा) नामक एक आक्रामक कृषि कीट कर्नाटक में खोजा गया।

संबंधित तथ्य

- उत्तरी अमेरिका का एक प्रमुख मक्का कीट फॉल आर्मीवोर्म 2016 में अफ्रीका में पहुँचा।
- कर्नाटक में इसका मिलना एशिया में इस कीट के पाए जाने की पहली घटना है।
- यह लगभग 100 अलग-अलग फसलों पर पलता है जिनमें सब्जियाँ, चावल और गन्ना शामिल हैं।
- ये स्वप्रजाति भक्षक होते हैं।

फॉल आर्मीवोर्म शब्द अनेक प्रजातियों को संदर्भित कर सकता है जो प्रायः प्रजाति के लार्वा स्तर पर व्यापक आक्रामक व्यवहार की व्याख्या करता है।

84.A

STA

- It allows a controlled item to be exported under defined conditions without a transaction-specific license. The defined conditions for any license exception allow for an audit trail to ensure the U.S. Government's ability to enforce the controls.
- The STA permits the export of a defined set of items on the Commerce Control List to Allies and certain other friendly countries without a specific license.
- India has been granted the Strategic Trade Authorisation, or STA-1, status that placed it with a group of 36 countries, mostly NATO allies. Japan and South Korea are the only Asian countries in this group.
- It would allow the transfer of more sensitive defence technologies and dual use technologies to India and without the risk of any proliferation
- STA-1 provides India greater supply chain efficiency, both for defence and for other high-tech products, that will increase activity with US systems, the interoperability of the systems, and it will reduce time and resources needed to get licensing approved.

स्ट्रेटिजिक ट्रेड ऑथरिजेशन

- यह परिभाषित परिस्थितियों के अंतर्गत एक नियंत्रित मद के किसी लेनदेन-विशिष्ट लाइसेंस के बिना निर्यात की अनुमति देता है। किसी लाइसेंस अपवाद हेतु परिभाषित परिस्थितियाँ अमेरिकी सरकार को नियंत्रणों को लागू करने की क्षमता सुनिश्चित के लिए एक ऑडिट ट्रेल की अनुमति देती हैं।
- STA, किसी विशिष्ट लाइसेंस के बिना कॉमर्स कंट्रोल लिस्ट टू अलाइज़ में दर्ज वस्तुओं के एक परिभाषित समुच्चय के तथा चुनिंदा अन्य मित्र देशों को निर्यात की अनुमति देता है।
- भारत को स्ट्रेटिजिक ट्रेड ऑथरिजेशन-1 (STA-1) दर्जा दिया गया है जो इसे 36 देशों के समूह (अधिकतर नाटो सहयोगी) में स्थान दिलाता है। जापान और द. कोरिया इस समूह में अकेले एशियाई देश हैं।
- यह अधिक संवेदनशील रक्षा प्रौद्योगिकीयों तथा दोहरे प्रयोग की प्रौद्योगिकीयों का भारत को प्रसार के भय से रहित होकर हस्तांतरण किए जाने की अनुमति देता है।
- STA-1 भारत को रक्षा और अन्य उच्च तकनीक उत्पादों के मामले में व्यापक आपूर्ति श्रृंखला दक्षता प्रदान करता है जो अमेरिकी प्रणालियों के साथ इसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने, प्रणालियों की अन्तरसंक्रियता में मददगार है तथा यह लाइसेंस के अनुमोदन में लगने वाले समय और संसाधनों को कम करेगा।

85.D

Niryat Mitra

- It is launched by the Ministry of Commerce & Industry.
- It is developed by the Federation of Indian Export Organisations (FIEO)
- It provides wide range of information required to undertake international trade right from the policy provisions for export and import, applicable GST rate, available export incentives, tariff, preferential tariff, market access requirements – SPS and TBT measures.
- It works internally to map the ITC HS code of other countries with that of India and provides all the required data without the users bothering about the HS code of any country.

· ITC (HS) codes are better known as Indian Trade Clarification (ITC) and are based on Harmonized System (HS) of Coding. It was adopted in India for import-export operations. Indian custom uses an eight digit ITC (HS) code to suit the national trade requirements.

निर्यात मित्र

- यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है।
- इसे फेडरेशन ऑफ़ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (FIEO) द्वारा विकसित किया गया है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यक व्यापक सूचना प्रदान करता है जिसमें निर्यात और आयात हेतु बने नीतिगत प्रावधान, मान्य GST रेट, उपलब्ध निर्यात प्रोत्साहन, प्रशुल्क, बाजार पहुँच जरूरतें- SPS तथा TBT उपाय शामिल हैं।
- यह भारत के सापेक्ष अन्य देशों के ITC HS कोड के मानचित्रण हेतु आंतरिक रूप से कार्य करता है तथा यह प्रयोक्ताओं को किसी भी देश के HS कोड के बारे में परेशानी दिए बिना वांछित डेटा उपलब्ध करवाता है।
- ITC (HS) कोड्स को इंडियन ट्रेड क्लेरिफिकेशन (ITC) के नाम से जाना जाता है और ये कोडिंग की हार्मनाइज्ड प्रणाली (HS) पर आधारित है। भारत में इसे आयात-निर्यात कार्यवाहियों के लिए अपनाया गया था। भारतीय सीमाशुल्क विभाग एक आठ अंकीय ITC (HS) कोड का प्रयोग करता है जो राष्ट्रीय व्यापार आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त ठहरता है।

86.A

Khangchendzonga National Park (KNP) in Sikkim is the only 'mixed' heritage site from India.

A 'mixed site' exhibits qualities of both natural and cultural significance.

India now has 35 sites, including 27 cultural properties, seven natural sites and one mixed site, notified as World Heritage Sites.

Khangchendzonga Biosphere Reserve has become the 11th Biosphere Reserve from India that has been included in the UNESCO designated World Network of Biosphere Reserves (WNBR).

सिक्किम का कंचनजंघा राष्ट्रीय पार्क (KNP) भारत से एकमात्र 'मिश्रित' विरासत स्थल है।

एक 'मिश्रित विरासत स्थल' प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार की विशेषताएं दर्शाता है।

भारत में अब 27 सांस्कृतिक संपत्तियों, सात प्राकृतिक स्थलों और एक मिश्रित स्थल के साथ 35 स्थल हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है।

कंचनजंघा बायोस्फियर रिज़र्व भारत से 11वां बायोस्फियर रिज़र्व बन गया है जिसे यूनेस्को द्वारा नामित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ़ बायोस्फियर रिज़र्व (WNBR) में शामिल किया गया है।

87.D

Types of Notice

	Red Notice To seek the location and arrest of wanted persons with a view to extradition or similar lawful action.		Yellow Notice To help locate missing persons, often minors, or to help identify persons who are unable to identify themselves.
	Blue Notice To collect additional information about a person's identity, location or activities in relation to a crime.		Black Notice To seek information on unidentified bodies.
	Green Notice To provide warnings and intelligence about persons who have committed criminal offences and are likely to repeat these crimes in other countries.		Orange Notice To warn of an event, a person, an object or a process representing a serious and imminent threat to public safety.
	INTERPOL–United Nations Security Council Special Notice Issued for groups and individuals who are the targets of UN Security Council Sanctions Committees.		Purple Notice To seek or provide information on modus operandi, objects, devices and concealment methods used by criminals.

88.D

The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) known commonly as the Iran deal, is an international agreement on the nuclear program of Iran reached in Vienna on 14 July 2015 between Iran, the P5+1 (the five permanent members of the United Nations Security Council—China, France, Russia, United Kingdom, United States—plus Germany) and the European Union.

जॉइंट कॉम्प्रिहेन्सिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) जिसे सामान्यतः ईरान समझौते के नाम से जाना जाता है, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो 14 जुलाई 2015 को ईरान तथा P5+1 (सं.रा. सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्यों—चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन, सं.रा. अमेरिका तथा जर्मनी) एवं यूरोपीय संघ के बीच वियना में हुआ।

89.B

The 10th Schedule to the Constitution, popularly referred to as the 'Anti-Defection Law,' was inserted by the 52nd Amendment in 1985.

संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे लोकप्रिय तौर पर 'दल-बदल विरोधी कानून' के तौर पर जाना जाता है, 1985 में 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी।

90.D

Portuguese man-of-war is a jelly-like marine organism. It is commonly known as 'bluebottle' or 'floating terror'. While most jellyfish stings are harmless to humans and cause only a mild irritation, species like the bluebottle are venomous and can cause harm on contact. Even a dead bluebottle washed up on shore can deliver a sting. पोर्चुगीज़ मैन-ऑफ-वार एक जेली जैसा दिखने वाला समुद्री जीव है। इसे सामान्य तौर पर 'ब्लूबोटल' अथवा 'फ्लोटिंग टेरर' के नाम से जाना जाता है।

जहाँ अधिकांश जेलीफिश का डंक मानवों के लिए हानिरहित होता है और इससे हल्की सी चुभन मात्र होती है, वहीं ब्लूबोटल जैसी प्रजातियाँ जहरीली होती हैं और संपर्क में आने पर हानि पहुँचा सकती हैं। यहाँ तक कि तट पर बहकर आया एक मृत ब्लूबोटल भी डंक मार सकता है।

91.B

- **Statement 1 is not correct:** Sufism was a liberal reform movement within Islam. It had its origin in Persia and spread into India in the eleventh century.
- **Statement 2 is correct:** Sufism stressed the elements of love and devotion as effective means of the realisation of God.

- Love of God meant love of humanity and so the Sufis believed service to humanity was tantamount to service to God.
- **Statement 3 is correct:** According to Sufis one must have the guidance of a pir or shaikh (teaching master), without which spiritual development is impossible.
- Sufism also inculcated a spirit of tolerance among its followers.
- Other ideas emphasised by Sufism are meditation, good actions, repentance for sins, performance of prayers and pilgrimages, fasting, charity and suppression of passions by ascetic practices.
- Institutionally, the Sufis began to organise communities around the khanqah (hospice) controlled by the shaikh.
- When the shaikh died, his tomb-shrine (dargah) became the centre of devotion for his followers.
- This encouraged the practice of pilgrimage or ziyarat to his grave, particularly on his death anniversary or urs (or marriage, signifying the union of his soul with God).
- This was because people believed that in death saints were united with God, and were thus closer to Him than when living. People sought their blessings to attain material and spiritual benefits. So, union with God was not considered impossible.
- **कथन 1 सही नहीं है:** सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदार सुधार आंदोलन था। इसकी उत्पत्ति फ़ारस (आधुनिक ईरान) में हुई तथा ग्यारहवीं शताब्दी में भारत में इसका प्रसार हुआ।
- **कथन 2 सही है:** इसने ईश्वर की प्राप्ति के प्रभावी साधन के रूप में प्रेम और भक्ति के तत्वों पर बल दिया।
- ईश्वर से प्रेम का अर्थ मानवता से प्रेम है तथा इसलिए सूफी संतों का मानना था कि मानवता की सेवा ईश्वर की सेवा के समान है।
- **कथन 3 सही है:** सूफियों के अनुसार व्यक्ति के मार्गदर्शन के लिए एक पीर या शेख (शिक्षण गुरु) का होना आवश्यक है। उसके बिना व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास असंभव है।
- सूफीवाद ने अपने अनुयायियों में सहिष्णुता की भावना को भी उत्पन्न किया।
- सूफीवाद द्वारा ध्यान, उचित कार्य, पाप के लिए पश्चाताप, प्रार्थनाओं और तीर्थयात्राओं, उपवास, दान और तप साधना द्वारा इच्छाओं के दमन जैसे विचारों पर भी बल दिया गया।
- संस्थागत रूप से सूफियों ने शेखों द्वारा नियंत्रित खानकाहों (धर्मशालाओं) के आस-पास के समुदायों को संगठित करना आरंभ किया।
- जब किसी शेख की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी दरगाह एक पवित्रस्थल के रूप में उसके अनुयायियों के लिए उपासना का केंद्र बन जाती थी।
- सूफीवाद ने विशेष रूप से शेखों की पुण्यतिथि अथवा उर्स (शाब्दिक अर्थ 'विवाह', अर्थात् यह आत्मा और परमात्मा के मिलन को दर्शाता है) के अवसर पर उनकी समाधि स्थल पर तीर्थयात्रा या ज़ियारत की प्रथा को प्रोत्साहित किया।
- ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के पश्चात उस संत का ईश्वर के साथ एकीकरण हो गया। लोगों का यह विश्वास था कि वह संत जीवित रहने के समय ईश्वर के जितना निकट था, उससे कहीं अधिक निकट वह मृत्यु के पश्चात हो गया। अतः लोग भौतिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने हेतु उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। इस प्रकार, ईश्वर के साथ एकाकार होना अब असंभव नहीं माना जाता था।

92.D

- Under the Right to Information Act, 2005 certain intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, are exempted from providing information excepting the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations. Some of these organizations are:
 - **National Security Guard**
 - **Narcotics Control Bureau**
 - **Defence Research and Development Organization**
 - Intelligence Bureau
 - Border Security Force
 - Central Reserve Police Force
 - Indo-Tibetan Border Police
 - Central Industrial Security Force
 - National Security Guards
 - Assam Rifles
 - Sashtra Seema Bal
 - Border Road Development Board.

- **The Reserve Bank of India is a public authority as defined in the Right to Information Act, 2005.** As such, the Reserve Bank of India is obliged to provide information to members of public.
- **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** के अंतर्गत दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट कुछ आसूचना और सुरक्षा संगठनों को भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से संबंधित जानकारी को छोड़कर अन्य जानकारी प्रदान करने से छूट दी गई है। इनमें से कुछ संगठन हैं:

- राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG)
- स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (NCB)
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)
- आसूचना ब्यूरो (IB)
- सीमा सुरक्षा बल (BSF)
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF)
- भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP)
- केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF)
- असम राइफल्स
- सशस्त्र सीमा बल
- सीमा सड़क विकास बोर्ड।

- **भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)** सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 में परिभाषित एक सार्वजनिक प्राधिकरण है। इस तरह, भारतीय रिजर्व बैंक जन प्रतिनिधियों को सूचना प्रदान करने के लिए बाध्य है। **इसलिए, विकल्प (d) सही है।**

93.B

- A government can function only when it has majority support in the Lok Sabha. The party can remain in power when it shows its strength through a floor test which is primarily taken to know whether the executive enjoys the confidence of the legislature. **Rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha lays down the procedure for moving a Motion of No-Confidence against the entire Council of Ministers only. Hence statement 1 is correct and statement 2 is not correct.**
- A no-confidence motion can be moved by any member of the Lok Sabha.
- **A Motion of No-confidence need not set out any grounds on which it is based.** Even when grounds are mentioned in the notice and read out in the House, they do not form part of the No-confidence Motion. **Hence statement 3 is correct.**
- लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने की स्थिति में ही कोई सरकार अस्तित्व में बनी रह सकती है। फ्लोर टेस्ट या विश्वास मत (जो मुख्य रूप से यह जानने के लिए होता है कि क्या कार्यपालिका को विधायिका का विश्वास प्राप्त है) के माध्यम से अपना बहुमत सिद्ध करने पर ही कोई दल सत्ता में बना रह सकता है। लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 198 में केवल संपूर्ण मंत्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। **इसलिए कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है।**
- लोकसभा के किसी भी सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
- **अविश्वास प्रस्ताव हेतु उसके कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।** यहां तक कि यदि नोटिस में कारण उल्लिखित होते हैं और उन्हें सभा में पढ़ा जाता है तब भी वे अविश्वास प्रस्ताव का भाग नहीं बनते हैं। **इसलिए कथन 3 सही है।**

94.C

- Article 267(1) of the constitution provides that "Parliament may by law establish a Contingency Fund in the nature of an imprest to be entitled the Contingency Fund of India into which shall be paid from time to time such sums as may be determined by such law, and the said Fund shall be placed at the disposal of the President to enable advances to be made by him out of such Fund for the purposes of meeting unforeseen expenditure pending authorisation of such expenditure by Parliament by law under Article 115 or Article 116.
- According to 267(1) of the constitution, Parliament enacted Contingency Fund of India Act, 1950. **Hence, statement 1 is correct.**
- The Contingency Fund of India shall be held on behalf of the President by a Secretary to the Government of India in the Ministry of Finance. **Hence, statement 3 is correct.**
- All loans raised by the Government by issue of Public notifications, treasury bills (internal debt) and loans obtained from foreign governments and international institutions (external debt) are credited into Consolidated fund of India. **Hence, statement 2 is not correct.**

- संविधान के अनुच्छेद 267 (I) में प्रावधान किया गया है कि संसद विधि द्वारा 'अग्रदाय के स्वरूप की' एक आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकेगी जो "भारत की आकस्मिकता निधि" के नाम से जानी जाएगी। इस निधि में समय-समय पर उक्त विधि द्वारा अवधारित राशियां जमा की जाती रहेंगी। साथ ही, उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययनाधीन रखी जाएगी ताकि अनुच्छेद 115 या अनुच्छेद 116 के अधीन संसद की विधि द्वारा प्राधिकृत किए जाने के लंबित रहने तक, अनपेक्षित व्यय की पूर्ति हेतु इस निधि में से अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को सामर्थ बनाया जा सके।
- संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 267 (I) के अनुरूप 'भारत की आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950' को अधिनियमित किया गया। **इसलिए, कथन 1 सही है।**
- भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव (भारत सरकार) के अधीन रहती है। **इसलिए, कथन 3 सही है।**
- सरकार द्वारा सार्वजनिक अधिसूचना जारी करके अर्जित किये गए सभी ऋण, ट्रेजरी बिल जारी कर प्राप्त किये गये ऋण (आंतरिक ऋण) तथा विदेशी सरकारों एवं अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से प्राप्त ऋण (बाह्य ऋण) को भारत की संचित निधि में जमा किया जाता है। **इसलिए, कथन 2 सही नहीं है।**

95.C

- **Statement 1 and statement 2 are not correct:** The National Integration Council was constituted in 1961, following a decision taken at a national conference on 'unity in diversity', convened by the central government. It is chaired by Prime Minister of India. The members of the NIC include union ministers, leaders of the opposition in the Lok Sabha and the Rajya Sabha, chief ministers of all states and Union Territories, leaders of national and regional political parties, chairpersons of national commissions, eminent journalists, and other public figures in India.
- The National Foundation for Communal Harmony is an autonomous body set up in 1992 under the administrative control of the Union Home Ministry. It promotes communal harmony, fraternity and national integration. It doesn't act as a secretariat to the National Integration Council.
- **Statement 3 is correct:** The objective of National Integration Council is to promote guiding principles of idea of India such as unity in diversity, inclusiveness, equal rights for all, philosophy of coexistence & tolerance.
- **कथन 1 और कथन 2 सही नहीं हैं:** केंद्र सरकार द्वारा आयोजित 'विविधता में एकता' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन में लिए गए निर्णय के पश्चात राष्ट्रीय एकता परिषद (National Integration Council: NIC) का गठन 1961 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। NIC के सदस्यों में केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, प्रख्यात पत्रकार एवं भारत के अन्य लोक-व्यक्तित्व सम्मिलित होते हैं।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में 1992 में स्थापित राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान एक स्वायत्त निकाय है। यह सांप्रदायिक सद्भाव, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करता है। यह राष्ट्रीय एकता परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य नहीं करता है।
- **कथन 3 सही है:** राष्ट्रीय एकता परिषद का उद्देश्य भारत की अवधारणा के मार्गदर्शक सिद्धांतों जैसे विविधता में एकता, समावेशिता, सभी के लिए समान अधिकार, सह-अस्तित्व एवं सहिष्णुता के दर्शन आदि को प्रोत्साहित करना है।

96.B

- **Statement 1 is correct:** International Telecommunication Union (ITU) is the United Nations specialized agency for information and communication technologies- ICT.
- It was founded on 17 May 1865 (and became a specialized agency of UN in 1947) and is headquartered in Geneva, Switzerland. It is responsible for allocating global radio spectrum and satellite orbits, develop the technical standards that ensure networks and technologies seamlessly interconnect, and strive to improve access to ICTs to underserved communities worldwide.
- ITU has 193 member states. ITU is unique among UN agencies in having both public and private sector membership. In addition to 193 member states, ITU membership includes ICT regulators, many leading academic institutions and some 700 tech companies.
- It releases ICT development index.
- **Statement 2 is not correct:** India is not its founder member. India has been an active member of the ITU since 1869, earnestly supporting the development and propagation of telecom in the global community of nations. ITU has decided to set up the ITU South Asia Area office and Technology Innovation Centre in New Delhi.

- **Statement 3 is not correct:** ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) is the private (non-government) non-profit corporation with responsibility for IP address space allocation, protocol parameter assignment, domain name system management, and root server system management functions, the services previously performed by the Internet Assigned Numbers Authority (IANA).
- **कथन 1 सही है:** अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union: ITU) सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है।
- इसकी स्थापना 17 मई 1865 को हुई थी (1947 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी बना)। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। यह वैश्विक रेडियो स्पेक्ट्रम और उपग्रह कक्षाओं को आवंटित करने तथा नेटवर्क और प्रौद्योगिकियों को अबाधित रूप से अंतर्संबंधित करने वाले तकनीकी मानकों को विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। साथ ही यह विश्व भर में असेवित समुदायों तक ICT की पहुंच को बेहतर बनाने हेतु भी प्रयासरत है।
- वर्तमान में ITU में 193 देश इसके सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से ITU एक विशिष्ट एजेंसी है, क्योंकि इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की सदस्यता है। 193 सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त, ITU के सदस्यों में ICT विनियामक, कई प्रमुख शैक्षणिक संस्थान तथा लगभग 700 तकनीकी कंपनियां सम्मिलित हैं।
- यह ICT विकास सूचकांक (ICT development index) जारी करता है।
- **कथन 2 सही नहीं है:** भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से नहीं है। हालाँकि वर्ष 1869 से ही भारत ITU का एक सक्रिय सदस्य रहा है तथा राष्ट्रों के वैश्विक समुदाय में दूरसंचार के विकास और प्रसार के लिए ईमानदारी से अपना समर्थन प्रदान करता रहा है। ITU ने ITU का दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय और प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र नई दिल्ली में स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- **कथन 3 सही नहीं है:** IP एड्रेस स्पेस एलोकेशन, प्रोटोकॉल पैरामीटर असाइनमेंट, डोमेन नेम सिस्टम मैनेजमेंट और रूट सर्वर सिस्टम मैनेजमेंट फंक्शन ICANN (इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबरर्स) का उत्तरदायित्व है जो निजी (गैर-सरकारी) गैर-लाभकारी निगम है। पूर्व में इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन इंटरनेट असाइंड नंबरर्स अथॉरिटी (IANA) द्वारा किया जाता था।

97.B

- **The Paris Club is an informal group of creditor nations whose objective is to find workable solutions to payment problems faced by debtor nations.** The Paris Club has 19 permanent members, including most of the western European and Scandinavian nations, the United States of America, the United Kingdom and Japan.
- The Paris Club stresses the informal nature of its existence and deems itself a "non-institution." As an informal group, it has no official statutes and no formal inception date, although its first meeting with a debtor nation was in 1956, with Argentina.
- Singapore issues are the list of the subject that were tabled by the Western states mainly US and EU in the WTO conference in the year 1996.
- **पेरिस क्लब ऋणदाता राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह है, जिसका उद्देश्य ऋणी राष्ट्रों के समक्ष आने वाली भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए व्यवहारिक समाधानों की खोज करना है।** पेरिस क्लब में 19 स्थायी सदस्य हैं, जिनमें अधिकांश पश्चिमी यूरोपीय और स्कैंडिनेवियाई राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और जापान शामिल हैं।
- पेरिस क्लब अपने अस्तित्व की अनौपचारिक प्रकृति पर बल देता है और स्वयं को एक "गैर-संस्थान" के रूप में मानता है। एक अनौपचारिक समूह के रूप में इसका कोई आधिकारिक विधान और कोई औपचारिक स्थापना तिथि नहीं है। हालाँकि ऋणी राष्ट्रों के साथ इसकी प्रथम बैठक वर्ष 1956 में अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी।
- सिंगापुर मुद्दे उन विषयों की सूची हैं जो वर्ष 1996 में विश्व व्यापार संगठन के सम्मेलन में पश्चिमी राष्ट्रों (मुख्य रूप से अमेरिका और यूरोपीय संघ) द्वारा प्रस्तुत किये गये थे।

98.D

The law making power in state is vested in the state assembly. But there may be situations when state assembly is not in session and it is necessary to make laws for the state. In these circumstances **Article 213** of the constitution provides that Governor of the state can promulgate ordinance. The following are the major provisions:

- If at any time, when the legislative assembly of the state is not in session, or where there is a legislative council in the state, when both houses of legislature are not in session and the Governor satisfies that it is necessary to make law then he can promulgate ordinances.
- The Governor has powers to pass an ordinance on the matters on which the legislative assembly has powers.

- Once an ordinance is passed, it should be placed before Legislative assembly of the state or where there is a legislative council, before both the houses and approved by then within six weeks of their respective dates of reassembly. **Hence both the statements are not correct.**

राज्य में विधि निर्माण की शक्ति राज्य विधानसभा में निहित है। किन्तु ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जब राज्य विधानसभा सत्र में न हो और साथ ही राज्य के लिए कानून बनाना आवश्यक भी हो। इन परिस्थितियों के लिए संविधान के अनुच्छेद 213 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रमुख प्रावधान किये गये हैं:

- यदि किसी समय जब राज्य की विधान सभा सत्र में न हो या उस राज्य में जिसमें विधान परिषद है, वहां विधायिका के दोनों सदन सत्र में न हों तथा राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि कानून बनाना आवश्यक है तो वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है।
- राज्यपाल के पास उन मामलों पर अध्यादेश पारित करने की शक्तियां हैं जिन पर विधान सभा को कानून बनाने के अधिकार प्राप्त हैं।
- एक बार अध्यादेश पारित होने के बाद, राज्य की विधान सभा के पुनः समवेत होने पर अध्यादेश को उसके समक्ष रखा जाना चाहिए या जहां विधान परिषद हो, वहां इसे दोनों सदनों के समक्ष रखा जाना चाहिए। विधान मंडल के सदन/दोनों सदनों के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर अध्यादेश को विधान मंडल का अनुमोदन मिल जाना चाहिए। **इसलिए दोनों कथन सही नहीं हैं।**

99.B

- Vithalbhai Patel was elected speaker of Central Legislative Assembly in 1925.
- As per the 1909 Morley -Minto reforms , One Indian was to be appointed to the viceroy's executive council, Satyendra Sinha was the first to be appointed in 1909.
- In 1919 , Jallianwala Bagh incident was followed by uncivilised brutalities on the inhabitants of Amritsar. The entire nation was stunned. Rabindranath Tagore renounced his knighthood in protest.
- The Indian National Congress held its thirty-ninth session at Belgaum(now Belagavi) on the 26th & 27th Dec. 1924. Gandhiji was the president of the Congress only on one occasion and the session was held in Belgaum.
- Hence option (b) is correct.**
- वर्ष 1925 में विठ्ठलभाई पटेल केन्द्रीय विधान सभा के अध्यक्ष (स्पीकर) चुने गए थे।
- 1909 के मॉर्ले-मिंटो सुधारों के अनुसार एक भारतीय को वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में नियुक्त किया जाना था। वर्ष 1909 में सत्येन्द्र सिन्हा कार्यकारी परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने।
- वर्ष 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना घटी और उसके बाद लोगों पर अन्य अमानवीय अत्याचार भी किये गये। इस घटनाक्रम से संपूर्ण देश स्तब्ध रह गया। इसके विरोध में रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड के सम्मान का त्याग दिया।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 और 27 दिसंबर, 1924 को बेलगांव (अब बेलगांवी) में अपने 39वें अधिवेशन का आयोजन किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई।
- इसलिए विकल्प (b) सही है।**

100.C

- Leachate is a contaminated liquid emanating from the bottom of the solid waste such as landfills and contains soluble organic and inorganic compounds as well as suspended particles.**
- Depending on weather, leachate flow can increase (during rainy season) or decrease (during dry/summer season).
- The landfill leachate discharge may lead to serious environmental problems. Leachate may percolate through landfill liners and subsoil causing pollution of ground water and surface water resources.
- ‘निक्षालितक (Leachate)’ लैंडफिल जैसे ठोस अपशिष्टों के तल से स्रावित होने वाला संदूषित द्रव है। इसमें घुलनशील कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के साथ निलंबित कण भी विद्यमान होते हैं।**
- मौसम के आधार पर निक्षालितक रिसाव में वृद्धि (वर्षा ऋतु में) अथवा कमी (शुष्क/ग्रीष्म ऋतु के दौरान) हो सकती है।
- लैंडफिल निक्षालितक रिसाव गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर सकता है। लैंडफिल लाइनर्स और उपमृदा से होते हुए निक्षालितक का रिसाव भूमि के अंदर तक हो सकता है जिससे भू-जल और सतही जल संसाधनों का संदूषण होता है।